हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष ,श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

24/1400/08.2015.यूके/एएस1/

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, प्वाईट ऑफ ऑर्डर। I have given a notice under Rule 67 for the adjournment of the proceedings to take up the important matter. हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी.....

अध्यक्षः एक मिनट. Please don't speak about the subject. Tell me what matter you have given to me? आपने क्या दिया है?

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, एक पुलिस अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार का केन्द्रीय सरकार के एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में डेपुटेशन पर गया हुआ है और वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रिंसिपल प्राईवेट सेक्रेटरी की इन्क्वायरी और इनवेस्टिगेशन कर रहा है। उसको धमकाया जाता है और बाद में उसका डेपुटेशन बिना किसी कारण के वापिस किया जाता है। जो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार के कसिज़ में प्रभावित करने के लिए (व्यवधान)

Speaker: I don't know the subject of the matter. Not to be recorded.

अध्यक्षः अभी मैटर ही पता नहीं लगा। आप एक मिनट बैठ जाइए।। got a notice for adjournment. और मुझे सवेरे ही मिला है और मैने सरकार को उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा है क्योंकि सबजैक्ट का हमें पता ही नहीं है। Whenever I get the subject and reply from the Government, we will decide the things. इसलिए आपका सबजैक्ट अभी तक एडमिट ही नहीं हुआ है और आप मैटर को डिसकस करने लग पड़े। नोटिस आपका मिला है लेकिन उसका जवाब नहीं आया, सरकार को मैने भेज दिया है। Let the Govt. reply what is the matter in it. जब मैटर आएगा तो आपको मौका दिया जाएगा।

24/1400/08.2015.यूके/एएस/2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैने और हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने 12.15 बजे सचिव महोदय को नोटिस दिया है, स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के अंर्तगत दिया है।

अध्यक्षः आपका नोटिस मिल गया है।

श्री रविन्द्र सिंह :यह विषय जितना लाईट आप समझ रहे हैं उतना लाईट नहीं है। यह विषय प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री के कार्यालय से सम्बन्धित है। जब प्रदेश के मुख्य मंत्री का कार्यालय ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हो और अध्यक्ष महोदय,

Speaker: Just a minute. I would like to say that unless I get the text of this subject, I can't initiate. This is wrong...(interruption)... Not to be recorded please.

मुख्य मंत्रीः चाहे "हिन्दुस्तान टाईम्स" में लगे चाहे "इंडियन ऐक्सप्रेस "में लगे, I am not bothered. (व्यवधान)

Speaker: This is wrong unless I give you permission.
...व्यवधान... आप बैठ जाइए प्लीज़ I I will not let you record this. .. (व्यवधान) Unless I get the subject, I can't allow you to speak.

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

24.08.2015/1405/SLS-AS-1

माननीय अध्यक्ष ...जारी

(विपक्ष के सदस्यों से) आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, प्लीज। (श्री रविन्द्र सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात बोलते रहे।)

आप जो मरज़ी कहिए। ...(व्यवधान)...बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) Please sit down. यह गलत प्रोसीज़र है। Let me work according to the procedure. ...(व्यवधान)... This is wrong. Not to be recorded. ...(व्यवधान)... अभी प्रश्न काल चलने दें। मैं यह अलाउ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)... I won't allow this. मैं अलाउ नहीं करूंगा। (डॉ० राजीव बिन्दल अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे।) Unless I decide the matter, you can't take up the matter in the House. This is my ruling.

आपका नोटिस मिल गया है। Let me decide. Let me take a decision. First I will get a report from the Government. You can't discuss the matter. ...(व्यवधान)... यह अभी तक कार्रवाई में नहीं आया है। ...(व्यवधान)... I won't allow you. What are you speaking now? यह सब्जैक्ट लिस्ट ऑफ बिजनस में शामिल ही नहीं है। यह आज की कार्यवाही का एजैंडा ही नहीं है। ...(व्यवधान)...This is not the agenda of the Business of the House. Let this item come properly. Then only I will allow you to speak about it. I have got your notice and sent it to the Government. When I get the reply from the Government, I will take a decision. ...(interruption)...

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। ...(व्यवधान)...

Speaker: This is not to be recorded. बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारी गुज़ारिश है कि इस मुद्दे के ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... Please sit down.

अध्यक्ष : चर्चा कैसे हो सकती है जबकि अभी तक मुझे आपके नोटिस के विषय का पता नहीं है। I don't allow this. मुझे अभी इसके विषय का पता नहीं है।

24.08.2015/1405/SLS-AS-2

...(व्यवधान)... I do not know about the subject. Please sit down . You cannot force like this. How can you discuss a matter when it is on in the agenda? Let me ask the Government and then I will take up the matter. Not allowed. चर्चा तभी हो सकती है जब यह मुद्दा एजैंडे में शामिल हो। I cannot give you the permission to discuss the matter. Let the report from the Government come here. This cannot be discussed and not to be recorded. Let this item come on the agenda first. This subject is not on the agenda. Let the report from the Government come and then we will discuss it. There is no problem.

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐडजॉर्नमैंट मोशन आज सुबह दिया है। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। आपने अपने बात कही, हमने सुनी। हम यह कह रहे हैं कि प्रश्न काल का समय है। पहले प्रश्न काल चलने दें, उसके बाद दूसरी मद डिसकस हो सकती है।

अध्यक्ष : आपका नोटिस आ गया है और मैंने उस पर निर्णय लेना है।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : यह अभी चेयर को डिसाइड करना है। ...(व्यवधान)...

Speaker: You follow no rules. You don't adhere to the rules. English मैं आपको रूल दिखा दूंगा। मैंने कहा कि अभी इसपर मैंने फाइनल डिसीजन लेना है। ...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो मामला ये यहां पर उठा रहे हैं, मुख्य मंत्री के प्राइवेट सैक्रेटरी का जो मसला ये यहां पर उठा रहे हैं ,यह मसला शिमला में विचाराधीन ही नहीं है। मैं रिकॉर्ड में ला रहा हूं कि यह मसला चण्डीगढ़ हस्तांतरित किया जा चुका है। ...(व्यवधान)... यह मसला इस अधिकारी के पास है ही नहीं। यह चण्डीगढ़ में है। ...(व्यवधान)...

जारी.. श्री गर्ग द्वारा

24/08/2015/1410/RG/DC/1

------**(व्यवधान)**---------

Speaker : I don't allow this.

संसदीय कार्य मंत्री : इस पर चर्चा ही चण्डीगढ़ में हो रही है। यह मसला चण्डीगढ़ में है। यह इस दफ्तर के पास नहीं है। इनकी सूचना अधूरी है ,यह केस चण्डीगढ़ कार्यालय में है।------(व्यवधान)-------

(विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे।)

Speaker: Are you all not going to listen to me? जो मैटर एजेन्डे में नहीं है उस पर आप सदन में चर्चा नहीं कर सकते, not at all. You please sit down. ----(व्यवधान)--------बैठिए।.------(व्यवधान)--------एक मिनट बैठिए। Listen to me. The matter is not in agenda, why are you discussing it. आप लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं? आप लोग बैठ जाइए।.------(व्यवधान)------- Please sit down. आप मेरी बात तो सुनिए। Please sit down. Just a minute please listen to me. This is not in the interest of the House. आपका

नोटिस मेरे पास आ गया है और मैं उस पर विचार कर रहा हूं। मैंने उसको सरकार को भेजा है। जब मुझे सूचना मिलेगी ,तो I will consider on it. कोई भी मैटर बिना एजेन्डे के यहां डिसकस नहीं होगा। I cannot start a topic about which I don't know.मुझे पता हीं नहीं है कि यह क्या है? You have to inform me.------(व्यवधान)--------

24/08/2015/1410/RG/DC/2

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा शुरू कराइए।

अध्यक्ष : I will not allow. No, not at all .------(व्यवधान)--------I will only take up this matter when I get the information from the Government. सरकार से सूचना प्राप्त होने से पहले मैं इस पर कोई चर्चा अलॉऊ नहीं करुंगा। हमारे एजेन्डे में अभी यह नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर एक चिट्ठी को कोट किया है। .------(व्यवधान)--------

अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि.------(व्यवधान)--------मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात तो सुन लें। Just a minute. Listen to me there is no rule in the Assembly कि आप जब चाहें, जिस पर चाहें डिसकशन शुरू कर दें। आप मेरी बात सुनिए। विधान सभा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब आपका नोटिस आए और उस पर यहां चर्चा शुरू हो जाए। मुझे नोटिस के बारे में पता करने दीजिए। Let me have the information and let it come on the agenda. आप इसको एजेन्डे में आने दीजिए।------(Interruption)-----

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा शुरू हो गई है, अब आप इस पर चर्चा शुरू करवा दें। मंत्री जी ने जवाब दिया है।.------(व्यवधान)--------

अध्यक्ष : आप कोई कागज़ देते हैं तभी चर्चा शुरू कर देते हैं। नहीं-नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे अभी सबजैक्ट का पता हीं नहीं है। I will know the subject and then I will start it. I have no knowledge about this and I want to have knowledge from the Government and yourself. This is no procedure that you give notice and things will start. This is wrong. Question Hour please.

-----एम.एस. द्वारा हिन्दी जारी

24/08/2015/1415/MS/DC/1

अध्यक्ष जारी---------

-(व्यवधान)-मुझे सब्जैक्ट का पता नहीं है। This is no procedure that you give notice and immediately discussion will start. This is wrong. प्रश्नकाल। एक मिनट सुन लीजिए।- (व्यवधान)-कृपया बैठ जाइए। आपके नोटिस का डिसीजन तो होने दो। एक मिनट बैठ जाइए।- (व्यवधान)-प्रश्नकाल आरंभ। Mr. Bhardwaj I am requesting you, आप बैठ जाइए। ......Interruption.......

24/08/2015/1415/MS/DC/2

प्रश्नकाल आरम्भ

प्रश्न संख्याः 1508

अध्यक्षः आप लोग बैठ जाइए। प्रश्नकाल शुरू हो गया है। श्री महेन्द्र सिंह। -(व्यवधान)-श्री महेन्द्र सिंह।

Shri Ravinder Singh: Please refer to your office letter no.dated 22-7-2015 on the subject cited above. (Interruption).

Speaker: .....Not to be recorded.....

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि जब मुझे सूचना मिलेगी, Ravi Ji I have to take some action then please sit down don't do this. This is not a proper manner. आप ऐसे मत कीजिए। This is not proper manner. मेरी बात सुनिए। Yes, I will take action, बैठ जाइए। This is wrong-----.(Slogans raised by Opposition party).....

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर नारेबाजी करने लगे)

प्रश्नकाल। श्री महेन्द्र सिंह।

Not interested.

24/08/2015/1415/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 1554

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल।

Not interested.

24/08/2015/1415/MS/DC/4

प्रश्न संख्याः 2027

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे हिमाचल के निवासी जो ट्रांसपोर्टर्ज हैं, मैं चाहता हूं कि बद्दी-बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी बसिज बाहर से आ रही हैं और हमारे स्थानीय ट्रांसपोटर्ज की बसें वहां नहीं चल रही है। मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि हमारे स्थानीय ट्रांसपोर्टर्ज की बसें वहां चले।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह इंटर स्टेट अरैंजमैंट होता है और दोनों स्टेट्स को,जब हमारी बसें भी वहां जाती है तो काउंटर साइन करते हैं। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जहां पर लोकल ट्रांसपोर्टर कोई एप्लाई करता है उसको प्रायोरिटी दी जाए। ऐसे मैंने आदेश दे दिए हैं।

समाप्त/

24/08/2015/1415/MS/DC/5

प्रश्न संख्याः 2207

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो ए0ए0 एण्ड ई0एस0 है ,वह 21 करोड़ रुपये की है मगर खर्चा अभी कुल छः करोड़ रुपये हुआ है और काम की स्पीड भी बहुत कम हुई है। यह काम हिमुडा कर रही है। सब-स्टैण्डर्ड काम की भी वहां से कम्पलेंट्स हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----------

24.08.2015/1420/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2207:-------**जारी**------

श्रीमती आशा कुमारीः------**जारी**----

सब-स्टेंडर्ड वर्क की वहां से कम्पलेंट थी तो क्या माननीय मंत्री जी इसका निरीक्षण करवाएंगे और यह आश्वासन देंगे कि जो 21 करोड़ रू0 इसके लिए अंकित किया गया वह पूरी की पूरी बिल्डिंग उस पैसे से तैयार होगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है, जैसे माननीय सदस्या कह रही हैं कि काम बहुत ही स्लो चला हुआ है। मैं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर भी गया था और मैंने जिलाधीश, चम्बा को भी

कहा था जैसे पानी, लैंड और कुछ अन्य मामले थे ,उनको देखने के लिए कहा था। मैंने डायरैक्टर, टैक्निकल ऐजुकेशन को आदेश दिए हैं कि इसको बार-बार इन्सपैक्ट करें ताकि इसको स्पीड अप किया जा सके। इसका काम हिमुडा को दिया गया है। उनको आपसी तालमेल से जल्दी काम को खत्म करने के लिए कहा गया है।

दूसरे, इन्होंने कहा कि 21 करोड़ रूपये की राशि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जैसे-जैसे पैसे की जरूरत पड़ती जाएगी हम आपको उपलब्ध करवाएंगें।

प्रश्न समाप्त।

24.08.2015/1420/जेएस/एजी/2

प्रश्न संख्या 2208

अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह- Not interested.

24.08.2015/1420/जेएस/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2209

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अंतर्गत धारा-118 की उल्लंघना के कारण सोलन और सिरमौर में कुल मिला कर 131मामले सरकार के सामने गत तीन वर्षों में आए हैं। जिनमें से सिरमौर में 52 और सोलन में 12 केसिज का निष्पादन हो चुका है। 24 मामले इस प्रकार के अभी भी सरकार के विचाराधीन है और 24 में उल्लंघना नहीं पाई गई। इसलिए ये जो 40 केसिज रह गए हैं ये कब से लम्बित है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है? इसके अलावा 70 मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं। इनके निष्पादन में कितना समय लगेगा और ये किस प्रकार के केसिज हैं? इसके अतिरिक्त क्या इस प्रकार के केसिज जो

लम्बित पड़े हैं या जिनका निष्पादन हुआ है, क्या ऐसे भी केसिज हैं जिनमें उल्लंघना हुई थी लेकिन रैट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से उनको नियमित कर दिया गया है ,विशेषकर आपके सोलन जिले में तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के केसिज इस तरह से नियमित किए गए हैं तो वे कौन-कौन से केसिज हैं? क्या इसमें सोलन से सम्बन्धित कोई होटल मालिक का भी केस है और क्या यह नियमानुसार किया जा सकता है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि ज़वाब में कहा है कि धारा-118 की उल्लंघना के कुल 73 मामले सिरमौर जिले में और 61 मामले सोलन जिला में पाए गए हैं। जहां उल्लंघना हुई थी, सिरमौर जिला में अच्छी प्रगति हुई है, उसमें सरकार ने वह जमीने अपने अधीन ले ली हैं लेकिन क्योंकि यह क्वैशी ज्युडिशियल मैटर है और जब डी.सी. फैसला करता है उसकी अपील डिविजनल कमिशनर को होती है। डिविजनल कमिशनर के बाद फाईनैंशियल कमिशनर को अपील होती है ,इसलिए इसमें समय भी लग जाता है। यह ठीक है कि जिला सिरमौर में अच्छे केसिज डिस्पोज़ हुए हैं। सोलन जिला में केवल 3केसिज डिस्पोज़ हुए हैं।

24.08.2015/1420/जेएस/एजी/4

डी.सी. सोलन को हम हिदायत देंगे कि जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई की जाए। जहां तक आप कहते हैं कि जहां वॉयलेशन हुई थी और वे केसिज नियमित हुए हैं उनके बारे में मेरे ध्यान में कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उनको भी री-ओपन करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत है कि पिछली सरकार के शासन काल में वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक इस प्रकार के उल्लंघना के केसिज ध्यान में आए थे जिसमें कई जगह पर फर्ज़ी प्रमाण पत्र लगाए गए कि वे यहां के स्थाई निवासी हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

24-08-2015/1425/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2209क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

कि वे यहां के स्थाई निवासी हैं और कृषि समुदाय से संबंध रखते हैं और कइयों के इस प्रकार के मुख्तियारनामे भी लिये गए कि जो मर चुके थे उनके नाम से भी जमीनें खरीदी गई थीं। तत्कालीन सरकार ने यह मामला छानबीन हेतु भेजा था लेकिन सरकार बदल जाने के बाद वर्तमान सरकार ने एस0आई0टी0 गठित करके वे केसिज़ इंक्वायरी हेतु सौंपे थे। उसमें भी यह तय हो गया, मेरी सूचना अनुसार एस0आई0टी0 ने अपनी रिपोर्ट दी है। यह सारा मामला लगभग 2 हजार बीघा जमीन का है। जो केसिज़ डी0सी0 महोदय सिरमौर और सोलन को आगे कार्रवाई हेतु भेजे हैं वे कितने-कितने केसिज़ हैं और उनका कब तक निपटारा होगा और वे किस प्रकार के केसिज़ हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो था वह सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में धारा-118 की वॉयलेशन का था, उसके बारे में हमने विस्तृत तौर पर जवाब दे दिया है। यह ठीक है कि वॉयलेशन उन केसिज़ में होती है जहां एग्रीकल्चरिस्ट का गलत या झूटा सर्टिफिकेट दे दिया गया हो या non-utilization of that particular land हो यानी प्रैस्क्राईब्ड पीरियड के अंदर उसका इस्तेमाल न हुआ हो और जिस परपज़ के लिए जमीन दी थी, उस परपज़ के लिए इस्तेमाल न किया हो। जो उसको टेक-ऑवर करने की पावर है वह डिप्टी कमिश्नर के पास वैस्ट करती है और जैसे मैंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी जायेगी कि अगर कोई वॉयलेशन हुई है तो वे उन केसिज़ को जल्दी-से-जल्दी निपटाएं।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये मामले जो मैं कह रहा हूं उन पर पूर्व सरकार ने इंक्वायरी बिठाई और वर्तमान सरकार ने एस0आई0टी0 गठित की थी। ये सिरमौर और सोलन के केसिज़ हैं और इसमें अनेकों अनियमितताएं पाई गईं। जो उन्होंने वहां कृषि के प्रमाण-पत्र लगाये वे फर्जी पाए गए। जो लोग मर चुके हैं

उनका मुख्तियारनामा फर्जी बनाकर लोगों ने जमीन बेनामी में ली हैं और धारा-118 की उल्लंघना हुई है और एस0आई0टी0 ने आपको पूरी रिपोर्ट दी है तथा डी0सी0 सिरमौर और सोलन को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं। मेरा यह प्रश्न

24-08-2015/1425/SS-AG/2

था कि जो मामले भेजे गए हैं वे कब तक निपटाये जायेंगे? क्या आप उसकी सारी रिपोर्ट सभापटल पर रखेंगे कि कौन-कौन से केसिज़ भेजे गए और कब-कब भेजे गए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह कम्प्लेंट और इंफोरमेशन में काफी फर्क है। जो कम्प्लेंट और इंफोरमेशन आती है अगर उसमें कोई गलती पाई गई या झूठा एग्रीकल्चरिस्ट का सर्टिफिकेट दिया हो या समय पर जमीन को यूज़ न किया हो तो उस सूरत में धारा-118 की वॉयलेशन मानी जाती है। ऐसे केसिज़ में हमने डी0सी0 को कह दिया है कि उन केसिज़ को भी जो केसिज़ ओव़रराइड भी कर दिए गए हैं उनकी भी दोबारा छानबीन की जाए।

श्री महेश्वर सिंहः क्या मंत्री जी उन संबंधित केसिज़ की सूची सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह इंफोरमेशन चाहते होंगे और वह इंफोरमेशन अगर एबेलेवल होगी तो इनको दे देंगे।

प्रश्न समाप्त

24-08-2015/1425/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 2210

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री बलदेव सिंह तोमर। Not interested.

24-08-2015/1425/SS-AG/4

प्रश्न संख्याः 2211

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री इन्द्र सिंह। Not interested.

24-08-2015/1425/SS-AG/5

प्रश्न संख्याः 2212

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री गुलाब सिंह ठाकुर। Not interested. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, not interested.

प्रश्न संख्या 2213 जारी श्रीमती के0एस0

/1430/24.08.2015केएस/एएस1/

प्रश्न संख्याः 2213

श्री अजय महाजन :अध्यक्ष महोदय, यहां पर मामूली सी टाईपिंग या क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। मैंने यह जानना चाहा था कि क्या 15-2014 के बजट में इसी माननीय सदन में यह अनाऊंसमैंट हुई थी? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर बजट में अनाऊंसमैंट हुई है, तो उसको लागू करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 2014-15 के बजट में प्वाइंट नं0 -49 में गौ-सदन खजियां की रिपेयर की अनाऊंसमैंट की गई थी । रिपेयर के लिए ऐस्टिमेट दे दिया गया है। बाकी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं , ऐसी कोई अनाऊसमैंट नहीं हुई है, रिपेयर की अनाऊंसमैंट हुई है।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, बजट में रिपेयर का प्रोविज़न नहीं था बल्कि इसको अपग्रेड करने का था और अपग्रेडिंग का जो मतलब है I think that is not repairing. उसको स्टेट लैवल का बनाने का उद्देश्य था। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि बजट में इसको अपग्रेड करने की जो मंशा थी, क्योंकि जो हमारे जानवर हैं, जंगली गाय वगैरह है, यह जगह केंद्र में है और इसमें पहले ही काफी पैसा खर्च हुआ है अगर इसको हम डवैल्प कर सके तो जो प्रतिदिन स्ट्रे कैटल्ज़ दिक्कत आ रही है उससे हमें निजात मिल सकती है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इसके लिए हमने पहले ही 1करोड़ 75 लाख रु0 प्रोवाईड करके वर्ष 2007 में इसको बनाया है। इसके अंदर पांच सौ जानवर रखने की केपेसिटी है परन्तु बजट कंस्ट्रेंट की वजह से मात्र 74 जानवरों को हम वहां पर रख रहे हैं। विभाग के पास फंड्ज़ नहीं है । यदि इसको फुल केपेसिटी में रन करना है तो हमें एक करोड़ रुपया केवल इसी गौ सदन को चलाने के लिए चाहिए। विभाग के पास गौ सदन चलाने के

/1430/24.08.2015केएस/एएस2/

लिए फंड्ज़ अवेलेबल नहीं है और केपेसिटी के हिसाब से पांच सौ एनिमल हम यहां पर रख सकते हैं।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर पांच सौ एनिमल्ज़ की केपेसिटी है और एक करोड़ कुछ पैसा यहां पर लगा हुआ है तो बाकी बजट का प्रावधान विभाग करें ताकि हम उसका प्रॉपर युटिलाईजेशन कर सके। क्योंकि पांच सौ जानवरों की जगह वहां पर सिर्फ 74 एनिमल्ज़ हैं। अगर बिल्डिंग बनी हुई है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है तो इसके लिए किसी न किसी ढंग से बजट का प्रावधान हो ताकि वह स्टेट लैवल का गौ सदन बन सके।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या यह सत्य है कि प्रदेशभर में विभिन्न पंचायतों को गौ सदन निर्माण हेतु जगह उपलब्ध करवाने तथा बजट का प्रावधान करने की हाई कोर्ट ने सरकार को कोई डायरैक्शन दी है?

)(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए**)

यदि हां, क्योंकि अब तो उसमे टाईम भी एक्स्पायर हो गया, लेकिन यदि हां, तो इस ओर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 की जनगणना के हिसाब से 32,130 स्ट्रे एनिमल्ज़ की गिनती प्रदेश के अंदर हुई है जिसके हिसाब से शैड बनाने के लिए लगभग 80 करोड़ रु0 चाहिए और साल में इसमें खर्चा करने के लिए 66 करोड़ मेंटिनैंस, फीड और फोडर के लिए चाहिए। यह ठीक कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद विभिन्न विभागों को कहा , चाहे वह लोक निर्माण विभाग है, ग्रामीण विकास

विभाग है, पशु-पालन विभाग है, जो एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमैंट से सम्बन्धित है, हाई कोर्ट के दिशा-

/1430/24.08.2015केएस/एएस3/

निर्देश के अनुसार जानवर जो सड़कों पर पड़े हैं केवल उनके उपचार के लिए ही हमारे विभाग को कहा है। सड़कों से उठाने का जिम्मा पी.डब्ल्यू.डी. को दिया है। लोक निर्माण विभाग कह रहा है कि हम इनको कहां ले जाएं? गौ सदन में ले जाते हैं तो प्रदेश में हमारे पास प्रदेश के अंदर मात्र 75 गौ सदन है जहां पर 7,451 की केपेसिटी है। तो केपेसिटी के हिसाब से हमारे जो स्ट्रे कैटल्ज़ हैं, उनको रखने की जगह नहीं है। हाई कोर्ट ने विभिन्न विभागों को जो नए दिशा-निर्देश दिए हैं, उसमें रूरल डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट को भी, क्योंकि 13वें फाईनैंस कमिशन के अंदर हम पंचायतों में जगह चयन करने के बाद उसमें गौ-सदन बना सकते थे लेकिन गौ-सदन बनाने के बाद उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वह सबसे बड़ी समस्या है। 13वें फाईनैंस कमिशन के अंदर प्रावधान रखा हुआ है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

24.8.2015/1435/as/av/1

प्रश्न संख्या : 2213 ---------क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचयती राज मंत्री --------- जारी

मगर जो 14वां वित्तायोग आयेगा हमें उसकी अभी गाइड लाइन्ज नहीं आई है। जब वह गाइड लाइन्ज आयेगी हम तभी बता सकते हैं कि पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसके बारे में तभी संज्ञान ले सकते हैं।

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश कर रहा था कि जो 500 की केपेसिटी है मगर वहां 74गऊएं हैं क्या उसके लिए बजट का प्रावधान करने की कृपा करेंगे ताकि हमारा गो-सदन फुल केपेसिटी में चल सके?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमने जो केलकुलेट किया है उसमें लगभग 20,81,700स्ट्रे कैटल के लिए है। हमें 500 की केपेसिटी के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि चाहिए। विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस गो-सदन को चला सके। हमने उसके लिए प्रयास किए हैं और माननीय विधायक भी जानते हैं। हमने उसके लिए दो बार विभिन्न संस्थाओं से बात की है। मगर उसको चलाने के लिए कोई भी संस्था तैयार नहीं है। इसलिए विभाग असमर्थ है कि इसको पूरी केपेसिटी से रन कर सकें।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, गो-सदन तो चलाये जा सकते हैं मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वहां पर पशु मर जाते हैं उनकी डिस्पोजल के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्ट्रे कैटल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। विभाग ने स्ट्रे केटल के लिए पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अनुसार काम करना शुरु किया। मगर हाई कोर्ट के बीच में आने की वजह से हमें स्ट्रे कैटल पॉलिसी को रिवाईज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें विभिन्न

24.8.2015/1435/as/av/2

विभागों को शामिल किया गया है। जैसे माननीय सदस्य ने पूछा तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कोई पशु मर जाता है तो यदि कमेटी एरिया में आता है तो उन लोगों को सूचित किया जाता है और अगर पंचायत एरिया में होता है तो पंचायत प्रतिनिधि को सूचित किया जाता है।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रदेश में केवल आवारा गाय होती थीं लेकिन अब लोगों ने बैल भी छोड़ दिए हैं। उनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? जो बैल छोड़े गए हैं वे पंजाब से छोड़े गए लगते हैं क्योंकि वे जर्सी बैल लगते हैं, उनको कौन छोड़ रहा है? हमारे यहां आवारा पशुओं की भरमार हो गई है। हमारे बैजनाथ बाज़ार में लगभग 2 हजार आवारा पशु हैं। इसके लिए कोई ठोस नियम बनाने पड़ेंगे कि किसके पशु हैं, कहां से आये और इसकी

कैसे रोकथाम होगी? इनकी दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या के कारण और जो सांड किस्म के पशु हैं वे रास्ते में लोगों को मारते भी हैं। लोगों की रक्षा और किसानों की फसल की रक्षा कैसे होगी; यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । यह बहुत गम्भीर मसला है। विभाग का मंत्री होने के नाते सरकार ने यह भी पाया है कि हमारे यहां कुछ ऐसे नस्ल के आवारा पशु भी पाये जा रहे हैं जो कि हमारे प्रदेश में नहीं होते। इसका मतलब यह है कि यहां पर दूसरे प्रदेशों से जानवर लाये जाते हैं। हम इस पर अपने विभाग के माध्यम से तो निगरानी नहीं कर सकते हैं मगर पुलिस विभाग या कोई और दूसरा विभाग इसको कर सकता है क्योंकि दूसरे प्रदेशों / राज्यों से हमारे यहां ट्रकों में पशु छोड़े जाते हैं। पशु पालन विभाग के लिए इनको पकड़ना एक मुश्किल काम है। हम इसमें हाई कोर्ट का संज्ञान भी ले रहे हैं और विभाग इस पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि विभाग के पास गो-सदन चलाने के लिए पैसा नहीं है। कुछ मंदिर न्यासों ने जगह के लिए आवेदन किए हैं मगर वह जगह

24.8.2015/1435/as/av/3

उन न्यासों के लिए ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि पशु पालन विभाग के नाम ट्रांसफर होनी है। मगर पशु पालन विभाग ने केस मूव नहीं किए हैं। मैं यहां पर स्पैसिफिकली भलई मंदिर की बात कर रही हूं। वहां का मंदिर न्यास अपने पैसे से गो-सदन बनाना चाहता है मगर विभाग ने लैंड ट्रांसफर का केस मूव नहीं किया है। दूसरे, जो लैंड ट्रांसफर होनी है उसमें एफ.सी.ए. की क्लीयरैंस लेने में दिक्कत आ रही है--

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

24/1440/08.2015.टीसी/डी0सी1/0

श्रीमती आशा कुमारी ----- **जारी** ---- **प्रश्न संख्याः 2213क्रमागत** ---

क्या माननीय मंत्री जी इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे , क्योंकि यह एक धार्मिक कार्य है। इसमें ज्यादा समय न लगे, क्या इसको भी वन विभाग से टेकअप करेंगे ,कि इसको भी एग्ज़म्टिड किया जाये?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : स्पीकर सर, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, टैम्पल ट्रस्ट के बारे में हमने पॉलिसी बनाई थी, उसमें बताया गया है कि जो टैम्पल ट्रस्ट की इन्कम होगी ,उसमें से दस परसेंट गौ सदन के लिए खर्चा की जाएगी। जहां तक लैंड ट्रांस्फर की बात है, पहले वह लैण्ड विभाग के नाम होगी और फिर हमें उसे लीज पर देंगे । इसका प्रोसैस हम जरूर करेंगे, विभाग इसमें कार्रवाई करेंगा । जहां तक एफ0सी0 की बात है इसमें सचमुच में अब समस्या आ रही है । पंचायत के अन्दर जो फॉरेस्ट की लैण्ड है, एफ0सी0ए0 की वज़ह से उसको ट्रांस्फर करने में समय लग रहा है । जैसे ही लैण्ड विभाग के नाम होगी, इसको हम मन्दिर ट्रस्ट के नाम कर देंगे ।

Speaker : It is very good question, so I allow you again.

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहा था कि जो पशु मर जाते हैं, उनकी डिस्पोज़ल का क्या प्रबन्ध है ?*** थोक में पशु मरते हैं, सड़क के किनारे मरे होते हैं, गावं में मर जाते हैं, लेकिन डिस्पोज़ल का कोई प्रबंध नहीं होता है । ***

*****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

24/1440/08.2015.टीसी/डी0सी2/0

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : सर जो, माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है, हम हाईकोर्ट की जिम्मेवारी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो जानवार नगर परिषद के अन्दर मर जाते हैं उसके बारे में नगर परिषद् को सूचित किया जाता है और यदि पंचायत के अन्दर कोई पशु इस तरह से मर जाता है, तो पंचायत को सूचित करके उसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाएगी कि वह उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का प्रबंध करें।

Speaker :This process will cost as there is no fund available with the panchayats. इन जानवरों को यदि गाड़ना भी हो तो इसके लिए पैसा लगता है, वह यह पैसा कहां से लाएंगे?

श्री महेश्वर सिंहः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा, कुल्लू में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और उन्होंने पूर्व सरकार के समय जगह उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र दिया था। सरकार ने हार्टीकलच्चर विभाग की वहां लुगडभट्ठी नामक स्थान में अपनी जगह थी, उस जगह को राजस्व विभाग के नाम हस्तांतरित किया, ताकि गऊ सदन के लिए उसे उपलब्ध करवाया जा सकें। लेकिन तब से लेकर वह मामला अधर में लटका पड़ा है। इस बारे में ट्रस्ट वालों ने यहां तक कहा कि हमें गऊ सदन चलाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। हम गऊ मूत्र और गोबर पर आधारित उद्योग लगाकर सब पूरा करेंगे और फ्री वैटनरी डिस्पेंसरी भी उपलब्ध करवाएंगे। कौन-सा कारण है कि वर्तमान सरकार उस ज़गह को उस ट्रस्ट के हवाले नहीं कर रही है? जबकि उसमें एफ0सी0ए0 बगैरह कुछ नहीं है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :स्पीकर सर, यह जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं, यह अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करूँगा, क्योंकि लोग जो जगह गऊ सदन के लिए मांग रहे हैं उसके पीछे

भी लोगों द्वारा लैण्ड एक्वायर करने की मन्शा कुछ और है। लेकिन जैसा आपने कहा यदि कोई ऐसी सूचना होगी, तो उस पर हम जरूर गौर करेंगे?_

24/1440/08.2015.टीसी/डी0सी3/0

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ । इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि विभाग के पास पैसे नहीं हैं और ये असमर्थ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पैसे भी विभाग ने लाने हैं

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी--

24.08.2015/1445/NS/DC/1

श्री अजय महाजन----जारी

बजट में घोषणा हुई है तो यह मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि यह कह देना कि बिल्कुल असमर्थ हैं कहीं न कहीं से तो पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा। वहां पर लगभग एक करोड़ कुछ पैसा लगा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश हैं कि हर पंचायत में एक गऊ सदन बनाए। यह जो बनी हुई चीज़ है उसको चलाने के लिए समर्थ बनना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में बन्दर और स्ट्रे कैटल सबसे बड़ी समस्या है। हमारे एरियाज़ में डमटाल और इन्दौरा के लोगों ने फसल लगानी बंद कर दी है। डमटाल का जो मंडल है उसकी भी एक बड़ी अच्छी संस्था है। अगर उसके साथ इसको जोड़ा जाए तो भी चल सकता है। मगर यह कहना कि सरकार इस गऊ सदन को चलाने में बिल्कुल असमर्थ है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष : मान्य मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें चलाने के लिए लगभग 66 करोड़ रूपये, जो स्ट्रे कैटल की बात है, जो स्ट्रे कैटल की पॉलिसी हमने कहा कि सरकार ने बनाई थी। हाई कोर्ट की डायरैक्शन

के बाद उसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। उसमें धार्मिक संस्थाओं को जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके से यह चल सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पशुओं के बारे में यह बड़ा गम्भीर मसला है और हमारे लोगों में भी मान्यता खत्म हो गई है। पहले हमारे धर्म और समाज में गऊ का खास स्थान था। आज तो यह है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, जब बैल बूढ़ा हो जाए तो डंडा मार के भगा दो। अगर यही मनोवृति चलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे अपने मां-बाप को भी डंडा मार के बाहर कर देंगे। इसके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए। जो पशु आज आवारा हो गए हैं उनको उनके मालिक ने निश्चित रूप से

24.08.2015/1445/NS/DC/2

निकाल दिया है। उसके लिए हमें वही एटीच्यूड चाहिए और हम कटिबद्ध है कि जगह-जगह पर गौशाला खोलें चाहे वह निजी क्षेत्र में खोलें या सरकारी क्षेत्र में खोलें। चाहे सरकार की तरफ से सहायता लेकर खोलें यह हमारी रिस्पोंसिबिलिटी है, हम इससे विमुख नहीं हो सकते। The Government is committed to see that all the stray animals which are thrown out and are now homeless have had their home. यह सुझाव है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो identification of stray animals है उसके बारे में पिछले सैशन में एक बार आपने कहा भी था कि पशु कहां से आ रहे हैं? किसके पशु हैं, इसकी आईडैन्टिफिकेशन बची है। अदरवाईज पंजाब से, दूसरे इलाकों से पशु आते हैं उसको किसी और तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका भी कंट्रोल चाहिए identification of stray animals.

मुख्य मंत्री: ठीक है, सर। हमें सूचना मिली है कि पंजाब और हरियाणा से कुछ लोग रात को ट्रक लाते हैं और हिमाचल में पशु छोड़ते हैं इसकी रोकथाम की जरुरत है। दूसरे, यह मालूम करने के लिए कि पशु किस गांव से आया है, इसका

मालिक कौन था; उसके लिए एक माइक्रोचिप नीति बनाने बारे सोचा जा रहा है। अब माइक्रोचिप के बारे में फुलप्रूफ तरीका अपनाया जा रहा है। वह है माइक्रोचिप, जिसको किसी रोटी के साथ पशु को खिला देते हैं और वह पेट में रहती है। फिर बाहर से मीटर लगा कर पता लग जाता है कि पशु किसका है, कौन इसका मालिक है। पशु के मरने के बाद भी उसके पेट का पोस्टमॉर्टम करके वह माइक्रोचिप निकाली जा सकती है और उसको किसी और तरीके से भी डिटैक्ट किया जा सकता है कि यह किसका पशु है। शायद उससे कुछ रोकथाम हो जाए और उस के लिए हमने विभाग और अधिकारियों को कहा है कि इसके बारे में वह रूल बना दें ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी लागू कर सकें। जो पशु अवारा

24.08.2015/1445/NS/DC/3

हो चुके हैं, जिनको निकाला गया है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में ऐसा न हो उसकी रोकथाम के लिए शायद यह तरीका कारगर होगा।

अध्यक्षः यह भी पता लगाना चाहिए कि इन पशुओं में भैंस और बकरी कभी नहीं होती है। हमेशा गाय या बैल ही होते हैं। भैंस कभी नकारी नहीं होती है उसका वह कुछ करते हैं। बकरी भी नहीं होती है अवारा। कभी अवारा बकरी भी नहीं देखी।

मुख्य मंत्री : नहीं, जो यह कहते हैं अवारा पशु में सब कुछ है। गाय, बैल, बकरी, भैंसा, गधा ,घोड़ा जो भी ये अवारा पशु हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।

समाप्त

अगला प्रश्न श्रीमति यू.के. जी द्वारा ---

24/1450/08.2015.यूके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2214

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री सुरेश कुमार (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-2215

अध्यक्ष :अगला प्रश्न श्री विजय अगिनहोत्री (अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या-2216

अध्यक्ष :अगला प्रश्न श्री नरेन्द्र ठाकुर (अनुपस्थित)

24/1450/08.2015.यूके/एजी/2

प्रश्न संख्या-2217

श्री राम कुमार : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मैने शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। माननीय मंत्री जी ने उस समय भी आवश्वासन दिया था और यह मामला केन्द्रीय सरकार के लेबर डिपार्टमैंट को गया था। उसके बाद यह इ0एस0आई0 अस्पताल का मैने दौरा किया तो वहां पर मुझे एम0एस0 ने यह सूचना दी कि यह आम लोगों के लिए अलाऊ हो गया है लेकिन इसकी डेट फिक्स करना बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि कृप्या इसको आम जनता के लिए खोलने के लिए जो डेट फिक्स करनी बाकी है वह डेट फिक्स करने के लिए हाऊस में आश्वासन दें। धन्यवाद।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है क्यों कि हमने इ0एस0आई0 कोरपोरेशन का जो हास्पिटल 100 बैडिड बद्दी में है ,उनके जो एम0एस0 से कहा था कि आप वहां जो जनरल पब्लिक है, जो हिमाचल प्रदेश के लोग वहां काम करते हैं, उनको भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएं But she has refused. She said that it is within the jurisdiction of the ESI Corporation.

It is not within my competence because this Hospital is meant for insured person. They contribute 1.75 per cent from their daily-wages and employer contributes 4.75 per cent of the wages of insured person at present. So, it is not possible to open the ESI Hospital to general public due to following reasons which she has narrated. The number of doctors posted there is only 60 per cent. Bed occupancy rate is also 60 per cent. At present no ESI modal hospital all over the country has been opened to the general public and opening of ESI modal hospital to general public is a

24/1450/08.2015.यूके/एजी/3

policy decision to be taken by ESI Corporation, Delhi. Anyhow emergency services are provided to the general public also.

श्री राम कुमारः सर, ऐसा ही परवाणु में भी इ0एस0आई0 हास्पिटल है, जिसमें सभी लोगों का इलाज होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बद्दी में कम से 2-3 लाख लोग वहां बाहरी भी हैं, स्थानीय भी हैं, वैसे तो सरकार ने मैडिकल फैसेलिटी बहुत अच्छी दे रखी हैं । लेकिन उसके बावजूद भी कमी है तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि परवाणू की तर्ज पर बद्दी को भी आप आम जनता की सुविधा के लिए खोलने का प्रयास करें।

Health & Family Welfare Minister: Sir, there is a difference between the hospital run by ESI Corporation and the institutions/hospitals run by the society. The hospital, dispensary, Primary Health Centre and even Parwanoo hospital is run by the ESI Society which is under the control of the Himachal Pradesh Government whereas ESI Corporation Hospital, Baddi is not under the control of the society. It is being run by the ESI Corporation itself. Anyhow, I have assured that we will take up

this matter again with the ESI Corporation so that they provide medical facilities to the local people also.

Concluded

24/1450/08.2015.यूके/एजी/4

अध्यक्षः अभी संजय रत्न जी के स्पीच में से कुछ ऐक्सपंज करना है । इन्होंने अचानक ही हाई कोर्ट के सम्बन्ध कोई टिप्पणी की है। I would like to expunge that remark out of the proceedings.

24/1450/08.2015.यूके/एजी/5

प्रश्न संख्या 2218

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री महेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-2219

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री सत्तपाल सिंह सत्ती औरश्री बिक्रम सिंह (अनुपस्थित)

अगला प्रश्न 2220 श्री एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

24.08.2015/1455/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या2220 :

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तारों को बिछाने की बात है, उसके बारे में लिखित उत्तर में कहा गया है कि इस कार्य को मार्च, 2016 तक पूरा

करने का लक्ष्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या वह विभाग को आदेश देंगे कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी किया जाए? महोदय, जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, वहां पर बिजली लाइनें काफी पुरानी हो चुकी है; चाहे तारें हों या पोल हों। इसलिए वहां पर इस कार्य को जल्दी करने, इसको एक्सपीडाइट करने के आदेश दिए जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, अगर यह कार्य मार्च, 2016 से पहले भी किया जा सकेगा तो विभाग को इसको करने के आदेश दिए जाएंगे।

समाप्त

24.08.2015/1455/SLS-AG-2

अध्यक्ष : अगला प्रश्न संख्याः 2221, श्री ईश्वर दास धीमान। (उपस्थित नहीं)

अगला प्रश्न संख्याः 2222, श्री हंस राज। (उपस्थित नहीं)

अगला प्रश्न संख्याः 2223, डॉ० राजीव बिन्दल। (उपस्थित नहीं)

अगला प्रश्न संख्याः 2224, श्री विनोद कुमार। (उपस्थित नहीं)

24.08.2015/1455/SLS-AG-3

प्रश्न संख्या2225 :

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जिला ऊना में सीवरेज की किन-किन स्कीमों पर काम चल रहा है। इसका मुझे अधूरा उत्तर मिला है जिसमें इन्होंने केवल संतोखगढ़ और मैहतपुर स्कीमों के बारे में बताया है और इन स्कीमों की अद्यतन स्थिति बताई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या चिन्तपुरनी, ऊना शहर और गगरेट में सीवरेज का कोई कार्य नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है कि कौन-कौन सी सीवरेज योजनाएं ऊना में चल रही हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपका जो मूल प्रश्न है उसका विभाग ने जो जवाब दिया है, वह सही है क्योंकि शहरी विकास विभाग स्कीमों के लिए केवल धन का प्रावधान करता है , जबकि कार्यान्वयन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग करता है। वर्तमान में सन्तोखगढ़ और मैहतपुर की दो योजनाएं हैं जिनके ऊपर कार्य चल रहा है। इसके अलावा, ऊना शहर की स्कीम पूरी हो चुकी है। जहां तक चिन्तपुरनी स्कीम का सवाल है, चिन्तपुरनी टैंपल ट्रस्ट द्वारा उस स्कीम की 8.50 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. भेजी गई है। इस योजना को 3 जोन में बांटा गया है जिनमें से 2 जोन की भूमि विभाग के नाम ट्रांसफर हो गई है और एक जोन की अभी होनी है। इस स्कीम के टैंडर कॉल कर लिए गए हैं। इसलिए शीघ्र ही चिन्तपुरनी स्कीम का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक गगरेट की स्कीम की बात है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस स्कीम का 01.03.2014 को शिलान्यास किया है। उसकी भूमि स्थानांतरण होने के बाद उस पर भी कार्य आरंभ किया जाएगा।

प्रश्न काल समाप्त

अगली मद. .श्री गर्ग द्वारा

24/08/2015/1500/RG/AS/1

<u>साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : अब सदन के नेता द्वारा वक्त्व्य होगा। माननीय मुख्य मत्री जी सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है :-

सोमवार, 24 अगस्त, 2015 शासकीय/विधायी कार्य,

मंगलवार, 25 अगस्त, 2015, शासकीय/विधायी कार्य,
बुधवार, 26 अगस्त, 2015 शासकीय/विधायी कार्य,
वीरवार, 27 अगस्त, 2015, (1) शासकीय/विधायी कार्य,
(2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य,

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गए)

शुक्रवार, 28अगस्त, 2015 शासकीय/विधायी कार्य।

2/-

24/08/2015/1500/RG/AS/2

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन में प्रदेश में सरकारी भूमि व अवैध कब्जों के सन्दर्भ में वक्तव्य देंगे।

Chief Minister : Hon'ble Speaker, Sir,

Recently there has been widespread debate and discussion in various public fora and media regarding the action being taken to vacate Government land which is under encroachment. This involves both Forest and Revenue Land. As Hon'ble Members are aware that action for eviction of encroachment has been accelerated these days on account of the directions of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in different cases.

My Government recognises that while illegal encroachments have to be proceeded against there is also a human angle involved in this matter. Therefore, we need to approach the whole issue with both a legal and humane perspective. Distinction needs to be made between those poor landless persons who are occupying government land out of duress and helplessness; and those

who have done so out of greed. Similarly, we may perhaps have to adopt different approaches for Forest and Non Forest areas.

Therefore, I order and announce the formation of a high level committee under the Chairmanship of Financial Commissioner (Revenue) to take a holistic view of the entire situation and suggest appropriate policy which should address the concerns for the poor and marginalised sections of the society.

...Concluded..

24/08/2015/1500/RG/AS/3

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां पर दिया है ,मैंने नियम-130 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा हेतु एक नोटिस भी दे रखा है। मेरा निवेदन यह है कि इस स्टेटमैंट को ध्यान में रखते हुए इस सदन की राय या सुझाव भी आ जाएं ,तो यह सदन इस विषय पर इसी स्टेटमैंट को रख दें अथवा दूसरे किसी मोशन के अन्तर्गत चर्चा के लिए रख दें ताकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कमैटी बनाई है ,उसको इस सदन की राय से भी अवगत होने का मौका मिल जाए।

Speaker: We will examine that.

24/08/2015/1500/RG/AS/4

<u>कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) सामान्य सीधी

भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3) 2012/2-दिनांक 18.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.06.2015 को प्रकाशित;

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग-III(अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3) 2015/1-दिनांक 06.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.06.2015 को प्रकाशित;

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-ए (3) 2014/5-दिनांक 13.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2015 को प्रकाशित;

24/08/2015/1500/RG/AS/5

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 18के खण्ड(क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज़) (चौबीसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-ए (3) 2013/11-दिनांक 15.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.07.2015 को प्रकाशित; और

(5) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-201 5I

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति विलम्ब के कारणों सहित सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(2) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

24/08/2015/1500/RG/AS/6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्री रविन्द्र सिंह जी, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **104वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **105वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **106वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार जी, सदस्य ,कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16) -: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना की संवीक्षा पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू एवं अगली मद नियम 62 शुरू

-------जारी
एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2015/1505/MS/AS/1

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने हमें विषय रखने के लिए समय दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्ज की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं 90 फीसदी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं। अन्य राज्यों में लगभग 30, 40 या 50 फीसदी सेवाएं सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का, पी0एच0सीज0 का और सी0एच0सीज0 का बाकी राज्यों की तुलना में महत्व अधिक बढ़ जाता है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में आबादी दूर-दराज़ के क्षेत्र में है और दूर-दराज के क्षेत्र के अंदर निजी चिकित्सालय में प्राइवेट प्रैक्टिशनर नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये पी0एच0सीज0 और अस्पताल चिकित्सक के बिना हों और चिकित्सा बंद हो जाए तो कल्पना की जा सकती है कि प्रदेश की क्या स्थिति होगी। तीसरा, हिमाचल प्रदेश का चिकित्सक बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक सेवाभाव से काम करता है और तुलनात्मक अध्ययन, अगर पूरे देश के और हिमाचल प्रदेश के

चिकित्सकों का किया जाएगा तो हमें लगेगा कि हिमाचल प्रदेश के चिकित्सक ने अगर कहीं आवाज उठाई है तो उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान हिमाचल प्रदेश के हित में होना चाहिए, यह जरूरी है।

अध्यक्ष जी, हड़ताल की चर्चा पर मैं दुबारा से आता हूं परन्तु हड़ताल से पहले हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है ,वह चिन्ता का विषय

24/08/2015/1505/MS/AS/2

है। वह क्यों है, यह तो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी को देखना है। पब्लिक में तो एक मैसेज जाता है कि शायद मुख्य मंत्री जी मंत्री जी को काम नहीं करने देते। समाज में तो यही आवाज है।

मुख्य मंत्रीः यह आपका दुष्प्रचार है। यह समाज में नहीं है ,यह आपकी खोपड़ी में है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को बात चुभी हो लेकिन अखबारों की सुर्खियां अगर मैं निकाल करके दूं और उन अखबारों की सुर्खियों में माननीय मंत्री जी के बयान और माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान आमने-सामने रख दिए जाएं तो फिर जनता के मन में जो इम्प्रैशन बना है, वह स्पष्ट हो जाएगा कि यह इम्प्रैशन क्यों बना है। मंत्री मुख्य मंत्री का मामला चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परन्तु जनता त्रस्त न हो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

24.08.2015/1510/जेएस/डीसी/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः-------जारी-----

मंत्री, मुख्य मंत्री का मामला चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता परन्तु जनता त्रस्त न हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग लगातार बीमार चल रहा है। जब स्वास्थ्य विभाग बीमार हो जाए तब बाकी स्थिति सम्भालनी

मुश्किल हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग बहुत दिनों से बीमार था और आज कल हड़ताल के कारण ज्यादा ही गम्भीर अवस्था में हो गया है यानि आई.सी.यू. में चला गया है।

मुख्य मंत्री: आपने स्वास्थ्य विभाग को मनःस्थिति में छोड़ा । You are trying to put aside the entire matter .Come to issues.

राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे ऐसा लग रहा है और हम भी चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें, अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय ,मुझे लगता है सरकार गम्भीर नहीं है। पूरे के पूरे स्वास्थ्य विभाग को सरकार ने आऊट सोर्सिंग पर डाल दिया है। हम जब रोगी कल्याण समिति के माध्यम से भर्ती करते थे तो इन बैंचों से बड़ी भारी चिल्लाहट होती थी। अब आर.के.एस. में भर्ती हो रही हैं।

Health& Family Welfare Minister: The member should speak only on the calling attention motion, if he wants to discuss the activities of Health Department, he should give separate notice on that. डॉक्टर्ज हड़ताल पर गए हैं आप उस पर चर्चा करें। अगर हैल्थ डिपार्टमैंट से रिलेटिड चर्चा करनी है तो उस पर डिस्क्शन लाएं । We are ready to discuss that आपने क्या किया और हमने क्या किया?

डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जब माननीय मंत्री जी ज़वाब देंगे तो ज़वाब देते समय वे सारी बातें बोलेंगे मुझे इनकी आदत का पता है। ट्रेज़री बैंच को थपथपाने से काम नहीं चलेगा। लाखों मरीज हॉस्पिटल्ज़ के बाहर बैठ

24.08.2015/1510/जेएस/डीसी/2

कर सरकार को गालियां दे रहे हैं इसलिए उस बात की चिन्ता उस ट्रेजरी बैंचिज़ को करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय it is relevant. आज अगर

चिकित्सक हड़ताल पर हैं तो उसकी वज़ह क्या है? आप लोगों ने सारे का सारा स्टाफ आऊट सोर्सिंग में डाल दिया। नर्सें आऊट सोर्स पर, पैरा मैडिकल आऊट सोर्स पर, फार्मासिस्ट आऊट सोर्सिंग पर, मशीनें आऊट सोर्सिंग पर डाल दी है।

Speaker: This is not the matter of this issue.

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं हड़ताल होती और हड़ताल के बाद जो पीछे बचा हुआ स्टाफ है वह भी तो कोई सम्भालने की स्थिति में होता। वह सम्भालने की स्थिति में नहीं था। यह समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की गम्भीरता पर सवाल उठाता हूं। आज कितने दिन हो गए हैं सरकार को यह देखते हुए, सुनते हुए कि जब डॉक्टर्ज ने हड़ताल का नोटिस दिया कि हमारी समस्याएं हैं, आप समस्याओं का समाधान करते हैं या नहीं करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कितनी बार चिकित्सकों को वार्ता के लिए बुलाया गया, कितनी बार उस मुद्दे को गम्भीरता से सुना गया? कितनी बार उनको कहा कि आपकी एक,दो, तीन, चार और पांच मांगों के प्रति गम्भीरता से वार्ता करेंगे, परन्तु नहीं। मीडिया की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं -पिछले 12 दिनों से लगातार हड़ताल बनी मरीजों का जी का जंजाल, आज नहीं जांचेंगे डॉक्टर मरीज, हिमाचल में डॉक्टर सामुहिक हड़ताल पर। सारे डॉक्टर छुट्टी पर और ईलाज नहीं होगा, डॉक्टर्ज की हड़ताल और पैन डाऊन स्ट्राईक। मैं विषय को इसलिए नहीं आगे बढ़ा रहा कि दोबारा से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी उसको ले करके आगे बढ़ेंगे परन्तु--

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

24-08-2015/1515/SS-DC/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

परन्तु कौन-सा ऐसा काम है जब डॉक्टरों ने आपकी बात नहीं सुनी। चिकित्सकों को बुलाया गया होता, गम्भीरता से उनकी बात सुनी गई होती तो समस्या का

समाधान हो गया होता। उसके प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला सबसे पहले उठा। अब डॉक्टर अपने काम में सुरक्षित नहीं रहने चाहिएं, ये तो सरकार ने नहीं कहा। होस्टिपटल के अंदर मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर की पिटाई हो जाए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज़ न हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी न हो तो कहां तक उचित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐक्ट बना हुआ है। आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में वह कानून बना था जिसके अंदर चिकित्सकों को विशेष प्रकार की सिक्योरिटी दी गई थी। उस ऐक्ट को इम्प्लीमैंट करने की आवश्यकता है। दूर-दराज़ के इलाके में चिकित्सक बैठा हुआ है और वह अपने आपको सेफ़ महसूस नहीं कर रहा। ईवन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक चिकित्सक की मरीज़ के रिश्तेदार ने डटकर पिटाई की। सवाल यहां खड़ा होता है कि अगर हम चिकित्सकों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। सरकार जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए और इधर-उधर का दुनिया भर का काम कर सकती है, अधिकारियों को तरह-तरह से विरोधियों के खिलाफ लगा सकती है तो डॉक्टरों की सुरक्षा में क्यों नहीं लगा सकती?

दूसरा सवाल है, आज देश भर में प्राइवेट होस्पिटल बहुत बड़ी सैलरी पर चिकित्सकों को रख रहे हैं। जब तक हमारी सरकार यह विचार नहीं करेगी कि हम सैलरी को और बढ़ाएं, हम सैलरी को बाकी विभागों की तुलना में नहीं मिलाएं --(व्यवधान)-- माननीय मंत्री जी पैसे की बात कर रहे हैं, जब चिकित्सा संस्थान चलाने हैं तो यह तो करना ही होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वे पैसे देंगे। अगर चिकित्सक को प्राइवेट होस्पिटल में एक लाख रुपया मिलता है तो वह सरकारी में 60 हजार पर काम नहीं करेगा। अगर डेढ़ लाख रुपया प्राइवेट में मिलता है तो वह सरकारी अस्पताल में एक लाख रुपया में काम नहीं करेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह गम्भीर विषय है, इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी चाहे हम सत्ता में हों या आप हों। कुछ प्रयास आदरणीय धूमल जी के समय में हुआ और कुछ प्रयास आपने भी उसको और बढ़ाने का किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि

24-08-2015/1515/SS-DC/2

आपने प्रयास नहीं किया। आपने हार्ड एरिया के अंदर पैसे को और बढ़ाया है। धूमल जी ने बढ़ाया था, आपने उसमें और ऐड किया है। परन्तु उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। चिकित्सक पूरे देश का बेतहरीन ब्रेन एम0बी0बी0एस0 में जाता है। आप सबने देखा, अभी-अभी टैस्ट हुए। क्षमा करेंगे, सारे बड़े-बड़े आई0ए0एस0 ऑफिसर बैठे हैं, सबसे बड़ा ब्रेन भी इस समय एम0बी0बी0एस0 में जा रहा है। परन्तु उनकी रिस्पैक्ट की क्या स्थिति है? उनकी सैलरी की क्या स्थिति है? इस पर चिन्ता करने की ज़रूरत है। जब उनका कोई मामला होता है तो सरकार को उसे बाकी अधिकारियों कि तुलना में और अधिक गम्भीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसा हमारा विशेष आग्रह है। प्रदेश के और जो चिकित्सा संस्थान हैं, वे पिछले अनेक दिनों से परेशान हैं। लगभग 2 लाख रोगी हमारी ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 के अंदर प्रतिदिन आते हैं और दो लाख रोगी पिछले अनेक दिनों से परेशान हैं उसकी चिन्ता करने की ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बात मुझे आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लानी थी। सरकार इस विभाग के प्रति चिन्ता करे क्योंकि यह जनता का विभाग है। कई दिनों से जो चिकित्सक हड़ताल पर हैं, पैन-डाउन स्ट्राइक पर हैं, उनके प्रति गम्भीरता के साथ विषय को लेते हुए और उनकी मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एटलिस्ट उनके साथ सीटिंग करके उनको आश्वस्त करें। वे बड़े अच्छे लोग हैं, वे आपकी बात मानने वाले हैं, केवल आपकी ओर से गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर गम्भीर प्रयास करेंगे तो ज़रूर काम हो जायेगा। ऐसा मेरा मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

जारी श्रीमती के0एस0

/1520/24.08.2015केएस/एजी1/

Speaker: In this Calling Attention Motion, Shri Suresh Bhardwaj is also one of the Movers. He can also speak.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सम्मुख आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाने के लिए रखा है, मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में ही दिन की चार से पांच हजार के बीच में ओ.पी.डी. होती है और आई.जी.एम.सी. के सारे जो सीनियर रैज़िडैंट्स हैं, हड़ताल पर है। कभी पैन डाऊन स्ट्राईक है, कभी मास कैजुअल लीव है । वे केवल एमरजैंसी करेंगें बाकी कुछ नहीं करेंगें। कुछ कंसल्टैंट्स कभी-कभी वहां पर ओ.पी.डी. चला लेते हैं लेकिन अधिकांश मरीज खासकर जो नया व्यक्ति बीमार होता है, उसको अगर कैजुअल्टी में जा कर डॉक्टर नहीं मिलेगा, वहां पर एक आधा कैजुअल्टी मैडिकल ऑफिसर देख लेगा या इंटर्नशिप वाला देख लेगा तो आई.जी.एम.सी. में किसी मरीज को लाने का मकसद ही समाप्त हो जाता है।

इसी प्रकार से सारे प्रदेश में प्रदेश के डॉक्टर अपने-अपने स्थान पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं और प्रदेश सरकार लगता है कि गम्भीर नहीं है क्योंकि कोई ऐसा छोटा विभाग, जिसका जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता, अगर उसमें भी हड़ताल होती है तो एकदम से प्रशासन और सरकार जागती है लेकिन इतना बड़ा विभाग जिसका सीधा सम्बन्ध आम जनता से होता है, उसके प्रति पूरी की पूरी सरकार अभी तक चुप बैठी है? इतने दिनों से हड़ताल हो रही है और उनकी कोई बहुत ज्यादा फाईनैंशियल डिमांड्ज़ भी नहीं है। अखबारों में जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जैसे बिन्दल जी ने कहा, यह ठीक है कि डॉक्टर्ज़ के लिए तो मरीज की बीमारी एक रूटीन मैटर होता है लेकिन

मरीज जो हॉस्पिटल में जाता है, उसको अगर समय पर कोई चैक न करे तो उसको तकलीफ

/1520/24.08.2015केएस/एजी/2

होती है और ऐसी स्थिति में कई बार लोगों के मन को बस में रखना सम्भव नहीं होता लेकिन अगर चिकित्सकों के ऊपर इस प्रकार से कोई हिंसात्मक हाथ उठाएंगें तो उससे उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए वह चाहे आप आर.के.एस. के अंतर्गत करें या सरकारी तौर पर करें। पुलिस की डियूटी लगाएं या प्राईवेट सुरक्षा की व्यवस्था करें। पी.जी.आई. में सारी प्राईवेट सिक्योरिटी लगी हुई है। डॉक्टरों की सुरक्षा यदि प्रॉपर नहीं की जाएगी तो जैसे कहा गया कि इन डॉक्टरों को प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में बहुत भारी तनख्वाह पर लोग बुला रहे हैं और वे सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करेंगें। सरकारी अस्पतालों में वे काम करें, इसके लिए उनको सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेसी है वह टैक्नोक्रेट्स को सहन नहीं करती और उनको वे इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे वे उनके कोई गुलाम होंगें। इसलिए जब तक आप समाज का जो सबसे अच्छा ब्रेन, जो जीनियस होता है , आज भी माता-पिता अपने बच्चों को साईंस सब्जैक्ट में दाखिल करते हैं । वह मैडिकल, इंजीनियरिंग या आई.आई.टी. में जाता है तो उनको अगर उनकी सर्विस के अंदर उनको अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति उस ओर नहीं जाना चाहेगा। हरेक व्यक्ति आई.ए.एस.,

आई.पी.एस. की ओर जाना चाहेगा और समाज को इंजीनियर, साईंटिस्ट और डॉक्टर्ज़ नहीं मिल पाएंगें।

अध्यक्ष महोदय, इनकी दूसरी डिमांड जैनेरिक दवाइयों के बारे में हैं और साथ में कहा है कि आप कैपिटल लैटर्ज़ में प्रैसक्रिप्शन देंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.8.20151525//ag/av/1

श्री सुरेश भारद्वाज ---------जारी

कि आप केपिटल लैटर में प्रैसक्रिप्शन देंगे। ये सारी टैक्निकल बातें हैं और डॉ. बिन्दल इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। यदि इस पर आप बातचीत करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनमें या आपमें कोई इगो प्रोब्लम हो जायेगी। वैसे जो डॉक्टर्ज लिखते हैं वह हमें पढ़ना नहीं आता, उसको शायद कैमिस्ट ही पढ़ सकते हैं। आपने उनको केपिटल लैटर में दवाई लिखने को किसलिए कहा है; यह जानकारी आपको ही है। मगर लोगों को असुविधा न हो इसलिए उनके साथ बातचीत कर ली जाए। उनका कहना है कि जैनरिक दवाइयां नहीं मिल रही है और उनकी इनग्रीडियंट्स की जानकारी नहीं है इसलिए हम जैनरिक दवाइयां नहीं लिखेंगे। अगर जैनरिक दवाइयां लिखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और हमारी ही बदनामी होगी। इसलिए आप उनसे बातचीत कर लीजिए कि जैनरिक दवाई लिखनी है, कोई दूसरी दवाई लिखनी है या केपिटल लैटर्ज में दवाई लिखनी है; यह कोई बहुत बड़े मसले नहीं हैं। यह सिक्योरिटी के मसले हैं और उसमें फाइनैंशियल मैटर हैं। आप उनसे इस बारे में बातचीत करें क्योंकि कई फंक्शनल डिपार्टमैंट जैसे ऐजुकेशन डिपार्टमैंट या हैल्थ डिपार्टमैंट हैं; इनको अगर पैसे की जरुरत पड़ती है तो इनको पैसा सरकार भी दे सकती है। इसके अतिरिक्त

आर.के.एस. इत्यादि से जो पैसा इकट्ठा किया होता है आप उससे भी इनकी भरपाई कर सकते हैं। प्रदेश की जनता को आज स्वास्थ्य सेवाएं कम या ज्यादा मिल रही है, यह अलग मुद्दा है। इस पर हम अलग से नोटिस देकर डिबेट कर सकते हैं। मगर आज स्थिति यह है कि डॉक्टर्ज हड़ताल पर हैं और वे काम नहीं कर रहे हैं। उनके काम न करने की वजह से गरीब आदमी जिसके पास सरकारी अस्पताल या डिस्पैंसरी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। हम/आपको नहीं होती। हम/आप तो कहीं प्राइवेट अस्पताल में भी चले जायेंगे। ऑफिसर्ज या दूसरा अमीर व्यक्ति भी चला जायेगा। मगर सबसे ज्यादा आज समाज के गरीब आदमी की चिन्ता करने की जरुरत है।

24.8.20151525//ag/av/2

वह गरीब आदमी जो विकास की सीढ़ी में सबसे पीछे है उसकी तरफ आज सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरा निवेदन है कि उसमें तुरंत मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर इन्टरवैंशन होनी चाहिए। इस हड़ताल को खत्म करवाकर जनता की सुख-सुविधा का ध्यान रखिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

24.8.20151525//ag/av/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय दो सदस्यों ने यहां अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा कि 'हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं।'

मैं शुरु में ही कह देना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज ने सांकेतिक संघर्ष शुरु किया है न कि हड़ताल शुरु की है। सरकार उनको अपने परिवार की तरह समझकर

उनसे बातचीत कर रही है और हम निश्चित तौर पर इस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। मैं श्री सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत पोजिटिव बात की है। डॉ.राजीव बिन्दल जी तो हमेशा राजनैतिक बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरी और मुख्य मंत्री जी की आपस में नहीं बन रही है। इनको पता नहीं ये बातें कहां से पता चलती है जबकि मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से हमें काम करने की खुली छूट है। यह ठीक है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्ज की शॉर्टेज है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैंने डॉ. बिन्दल जी को इसीलिए रोका था कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से नोटिस दें। हम चर्चा करेंगे। आप के वक्त में क्या हुआ और हमारे वक्त में क्या हुआ; हम इसको भी बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए दृढ़संकल्प है। सरकार समय-समय पर डॉक्टर्ज की नियुक्ति कर रही है और डॉक्टर्ज को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं तथा लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर्ज हड़ताल पर नहीं गये हैं अपितु उन्होंने सांकेतिक संघर्ष प्रारम्भ किया है। सरकार और डॉक्टर्ज के बीच में पूरा तालमेल है और उन द्वारा चलाये गये संघर्ष को आपसी बातचीत से सुलझा लिया जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऐसोसिएशन का 13 सूत्रीय -----

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

24/1530/08.2015.टीसी/ए0एस0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री -----**जारी** ----

हिमाचल प्रदेश मैडिकल ऐसासिएशन का 13 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को प्राप्त होने पर उनकी मांगों व अन्य सुझावों पर विचार किया व इस सम्बन्ध में निदेशक स्वास्थ्य से टिप्पणी भी मंगवाई गई। सरकार ने ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों को

वार्ता हेतू आमंत्रित किया। उनकी मांगों पर पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जो लगभग ढाई-तीन घण्टे चली तथा मांगों व सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई ,उसके बाद मैंने भी उन से वार्तालाप किया । जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य व निदेशक स्वास्थ्य भी उपलब्ध रहे । यह कहना कि उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, ये सरासर गलत है।

मैडिकल ऐसोसिएशन की मुख्य मांगों में डाक्टरों को कार्य समय के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना, 4.9.14 का लाभ देना, जैनेरिक दवाइयां लिखने की बाध्यता समाप्त करना, प्रमोशन व वरियता सूची जारी करना, सनातकोतर सीटों में जी0डी0ओ0 कोटे में बढ़ौतरी, छुट्टियां प्रदान करने की शक्तियां अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान करना तथा अन्य मांगे व सुझाव शामिल हैं ।

बैठक 20 अगस्त, 2015 को सुबह 11.00 बजे की गई। चर्चा के दौरान डाक्टरों पर कार्य समय के दौरान हमलों व अभद्र व्यवहार पर गहरी चिंता प्रकट की गई । डाक्टरों ने वर्तमान में मारपीट व अभद्र व्यवहार को Non-bailable अपराध की श्रेणी में लाने की मांग की है, जिस पर यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को देंगे तथा मामले को कानून विभाग की राय के पश्चात् विधेयक को और अधिक सख्त बनाने के लिए मंत्री परिषद् के समुख रखा जाएगा। सरकार द्वारा डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह विभाग तथा जिला प्रशासन को लिखित अनुरोध भी किया जा रहा है ।

24/1530/08.2015.टीसी/ए0एस0/2

जहां तक 4.9.14 सेवा लाभ दिया जाने का प्रश्न है, मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनसे भी यह बात डिस्कस हुई है, इन्होंने कहा कि ठीक है इस मामले पर हम बाकायदा गम्भीरता से विचार करेंगे । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि मामले को पुनः वित्त विभाग से उठाया जाए ताकि

तत्पश्चात् डॉक्टरों को पूर्व की तरह ही लाभ प्रदान किया जा सकें। जैनेरिक दवाओं को लिखे जाने के सम्बन्ध में सरकार का स्पष्ट मत है कि डाक्टर जैनरिक दवाईयां ही लिखे, क्योंकि सरकार प्रदेश के लोगों को सस्ती व अच्छी जैनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाने के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी , क्योंकि जैनरिक दवाईयां बहुत सस्ती है और लोगों पर इसका बोझ भी नहीं पड़ता है। मुझे नहीं समझ आता है कि जैनरिक दवाईयां लिखने में क्या परेशानियां हैं। जैसे आपने ठीक कहा सुरेश भारद्धाज जी कई डॉक्टरों की हैंडराईटिंग ठीक नहीं हैं। जब कैमिस्ट के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं तो वह कहते हैं कि पता करके आयो ये दवाई क्या लिखी है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कहा था कि जिन डॉक्टरों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है यदि वह कैपिटल लैटर में लिख दें तो इसमें क्या हर्ज़ हैं। फिर भी यदि वह कैपिटल लैटर में नहीं लिखना चाहते हैं तो साफ-साफ शब्दों में लिख दें, जिससे कैमिस्ट भी उसको आसानी से पढ़ सकें।

बैठक में डॉक्टरों को सूचित किया गया कि उनकी वरिष्ठता सूची बनाने का काम प्रगति पर है तथा इसे तीन महीने में जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार बी0एम0ओ0 व सी0एम0ओ की प्रमोशन की प्रक्रिया भी जारी है व इसे भी जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सी0एम0ओ0 में हमने अभी सात सी0एम0ओ0 को प्रमोट किया है, सात जिले हमारे खाली थे, उन जिलों में सी0एम0ओ0 को लगा दिया है। बी0एम0ओ0 की प्रमोशन का कार्य भी प्रगति पर है। स्नातकोत्तर सीटों में जी0डी0ओ0 कोटे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वह अन्य राज्यों के कोटा पोलिसी का अध्ययन करने के पश्चात रिपोर्ट सरकार को भेजें ताकि कोटा बढ़ाने सम्बन्धी आगामी कार्यवाही की जा सकें।

24/1530/08.2015.टीसी/ए0एस0/3

डाक्टरों की छुट्टियां स्वीकृत करने संबंधी शक्तियों को अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जाने बारे यह निर्णय लिया गया कि 30 दिन से कम का अर्जित अवकाश

जिला चिकित्सा अधिकारी ही स्वीकृत कर सकेंगे व इससे अधिक अवधि के अवकाश की स्वीकृति ही सरकार (सक्रेटरी हैल्थ)के स्तर पर दी जाएगी।

अन्य मांगों में यह भी सूचित किया गया है कि अनुबन्ध आधार पर नियुक्त डॉक्टरों जिन्होंने 31.3.2015 को पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है का नियमितिकरण शीघ्र किया जा रहा है। तदोपरान्त मैंने सभी अधिकारियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया तथा सभी मांगों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में सहानूभूति पूर्वक विस्तृत रूप से चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों---

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ------

24.08.2015/1535/NS/AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि 4.9.14 का लाभ दिए जाने के बारे में वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है जिसे सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और स्वैच्छिक निर्णय कर लिया जाएगा। जहां तक उनकी सुरक्षा का मुद्दा है इस सम्बन्ध में मामला शीघ्र मंत्री परिषद के समक्ष रखा जा रहा है। अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि डाक्टरों को हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं व लाभ प्रदान किए जाएं। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद डाक्टरों के पी.जी. भत्ते में अप्रैल 2013 में वृद्धि की है। वर्तमान में पी.जी.डिग्री धारी डाक्टरों को 7000 व डिप्लोमा धारी डाक्टरों को 3500 रूपए प्रति माह पी.जी. एलाउन्स दिया जा रहा है। इसी प्रकार अनुबन्ध डाक्टरों को प्रोत्साहन राशि में भी अप्रैल 2013 में बढ़ौतरी की गई है। नियमित करने की अवधि भी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान सांकेतिक धरना प्रदर्शन आपसी बातचीत से समाप्त हो जाएगा व प्रदेश के लोगों को बेहतर व

सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जहां तक ऐमरजैन्सी सेवा है, ऐमरजैन्सी सेवाएं पूरे प्रदेश के अंदर ठीक तरीके से चल रही हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको ज्यादा तूल न दें और उनको समझाने की कोशिश करें क्योंकि डाक्टरों का प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन है and they are to serve the suffering humanity मैं फिर डाक्टरों की एसोशिएशन के पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि बीमार मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक संघर्ष को वापिस लें और उनके लिए वार्ता के लिए सरकार के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे डाक्टरों को समझाएं। हमारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में

24.08.2015/1535/NS/AS/2

रखते हुए डाक्टरों को हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं। जहां तक तनख्वाह बढ़ाने की बात है हिमाचल सरकार पंजाब पैटर्न के हिसाब से दे रही है और हम उसके बाहर हम नहीं जा सकते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. राजीव बिन्दल : माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो जैनरिक दवाईयां हैं, आपका निर्णय अच्छा है पर जैनरिक दवाईयों के अन्दर जो प्रिंट रेट है वो उसकी कॉस्ट से 100 टाईम्स ज्यादा तक आ रहा है। इसलिए केवल जैनरिक करके गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए सिप्रोफ्लोक्सिस्लिन अगर किसी ने लिखी है वह सिप्रोफ्लोक्सिस्लिन एक रूपये की है और वही दवाई जैनरिक में 10 रूपये की मिलती है उसका आप कृपया अध्ययन करवा लें, तब उसका समाधान करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है। जिन जैनरिक दवाईयों की कीमतें ज्यादा हैं और उनके कंटैंट्स दूसरी दवाईयों के बराबर हैं उस पर निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। पिछली सरकार में डाक्टर आर.के.एस. पर रखे जाते थे। तीन साल आर.के.एस.पर और तीन साल बाद कन्ट्रैक्ट पर। अब हमने डाक्टरों की आर.के.एस. की नीति बंद कर दी है।

डाक्टरों को सीधे कन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। एक बात और है अध्यक्ष महोदय, पांच बजे हमने फिर डाक्टरों को निमन्त्रण दिया है कि वह आएं। मुख्य मंत्री के साथ उनकी मीटिंग करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हड़ताल जल्दी-से-जल्दी खत्म हो। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप के पास आएं तो आप भी उनको समझाने की कोशिश करें।

Speaker: I hope the stalemate will be broken now.

24.08.2015/1535/NS/AS/3

अध्यक्ष : इस मान्य सदन में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को नियम 130 के अंर्तगत प्रस्ताव चर्चित हुआ था जिसके संदर्भ में अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तर देंगे।

यू.के. जी द्वारा जारी---

24/1540/08.2015.यूके/डीसी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, परसों दिनांक 21.8.2015 को प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा, बाढ़ और बादल फटने से हुई क्षति बारे मे इस सदन में विस्तृत चर्चा की गयी । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 21 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया । मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव सरकार को उस बारे में दिए हैं और सरकार निश्चित तौर पर उन सुझावों में पर विचार करेगी । कुछ सदस्यों ने तो राजनीति की बातें की हैं और राजनीति की बातें करते रहेंगे । लेकिन मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार की डिक्शनरी में भेदभाव जैसा कोई शब्द का नहीं है । हम सारे प्रदेश का संतुलित

विकास चाहते हैं और समग्र विकास चाहते हैं, उसके लिए श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार प्रयासरत है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा, बाढ़ और बादल फटने से हुई क्षति के बारे सदन में विस्तृत चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन क्षेत्रों में बाढ़ आदि के द्वारा हुए नुकसान की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है प्राकृतिक आपदा किसी भी समय घटित हो सकती है। यह इन्सान के हाथ में नहीं है तथा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों व देश प्रदेश के सभी नागरिकों का एक सामूहिक कर्तव्य है। राजस्व विभाग की इसमें बतौर समन्वयक, कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अति शीघ्र प्रभावित व्यक्तियों व क्षेत्रों में राहत प्रदान की जाए।

चालू मॉनसून के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ व बादल फटने के कारण सरकारी तथा निजी सम्पति को व्यापक नुकसान हुआ है जिसका आंकलन लगातार किया जा रहा है। सम्पति के नुकसान के अतिरिक्त इस दौरान प्रदेश में लगभग 83 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में

24/1540/08.2015.यूके/डीसी/2

सड़कों, पुलों, पेयजल/सिंचाई, कृषि, बागवानी एवं पर्यटन को भी व्यापक नुकसान हुआ है। 355 कि0मी0 राज्य उच्च माग, 987 कि0मी0 मुख्य जिला मार्ग, 16370 कि0मी0 ग्रामीण मार्ग, चार बड़े पुल व 733 छोटी पुलियों की कुल लोक निर्माण विभाग में ही 455.28करोड़ रुपए की क्षति हुई है। 21 शहरी पेयजल योजनाएं, 3131 ग्रामीण पेयजल योजनाए, 958 सिंचाई स्कीमें, 20 बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें, 27 सीवरेज स्कीमें प्रभावित हुई जिस कारण प्रदेश के आई0पी0एच0 डिपापर्टमैंट में ही लगभग 172.21 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कृषि फसलों व कृषि भूमि को लगभग 16.18 करोड़ रुपए व बागवानी फसलों व बागवानी क्षेत्र को लगभग 52.71 करोड़ रुपए के नुकसान का अब तक आंकलन किया जा चुका है। अभी तक कुल क्षति 676.57 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूं

कि सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया, अपने क्षेत्र की सड़कों का जो नुकसान हुआ है, पेयजल योजनाओं का व कृषि-बागवानी का नुकसान हुआ है उस बारे में ध्यानाकर्षित किया है ।

अध्यक्ष महोदय सरकार इन सड़कों को खोलने के लिए, ताकि परिवहन व्यवस्था ठीक तरीके से चले, लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सभी मार्गों पर यातायात को बहाल करने हेतु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेबर और मशीनरी तैनात की गयी तथा यह प्रयास किया गया कि सभी मार्ग शीघ्रातिशीघ्र खोले जाएं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है । जो मशीनरी इस कार्य हेतु लगाई गई उसका ब्योरा इस प्रकार है :- 44 बुलडोजर इस काम के लिए लगाए गए । लोडर ऐैक्सकेवेटर, और जे0सी0बी0

एस0एल0एस0 द्वारा जारी

24.08.2015/1545/SLS-DC-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ..जारी

इस काम के लिए 444जे.सी.बी. और 123 टिप्पर लगाए गए। सभी 21 शहरी पेयजल योजनाओं तथा 27 सीवरेज योजनाओं को अस्थाई रूप से तुरंत चालू कर दिया गया है। इसी प्रकार से लगभग सभी ग्रामीण योजनाओं को भी अस्थाई रूप से चालू कर दिया गया है। भविष्य में भी दोनों विभाग सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सेवाओं में बाधा न पड़े तथा क्षति की सूरत में इन सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाए। इस ओर सरकार पूरा प्रयास कर रही है।

इस मौनसून के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 3 अत्यंत दुखद घटनाएं घटित हुईं जिनका वर्णन इस चर्चा का नोटिस देने वाले माननीय विधायकों ने भी विस्तृत तौर पर अपने संबोधन में किया है । पहली घटना दिनांक 7 अगस्त, 2015 को घटी। भारी वर्षा व बादल फटने से धर्मपुर उप-मंडल में सोन खड्ड में अचानक बाढ़ आ जाने से धर्मपुर बस अड्डा पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया जिस कारण अड्डे में खड़ी बसों को भी व्यापक नुकसान हुआ। महेन्द्र सिंह जी, आप जानते हैं कि सोनखड्ड की धावक बड़ी मशहूर है। "सोन खड्ड सब खड्डां दी राणी।

हुंदी धुप न देंदी पाणी। बरसात में कैसे जान बचाणी।" इस खड्ड का कैचमैंट एरिया बहुत ज्यादा है। ज्यादा वर्षा हो जाए तो इसमें ज्यादा पानी आता है। उसके बावजूद भी परिवहन मंत्री होते हुए आपने इस खड्ड के बीच में चैक डैम लगाकर बस अड्डा बना दिया। इस अड्डे के ऊपर से जो एक नाला आता है ,उस नाले में बहुत ज्यादा पानी आ गया और उसने भी इस खड्ड के बहाव को रोका जिससे सारा पानी धर्मपुर शहर के अंदर घुस गया। इस आपदा के कारण धर्मपुर उप-मंडल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से 3 की घर में दबने और एक की पत्थर गिरने के कारण मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 64 घर 117 ,गौशालाएं और 20 किसानों की भूमि भी नष्ट हुई है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण धर्मपुर क्षेत्र में 93 सड़कें भी अवरुद्ध हो गई थीं जिनमें से 40 सड़कों को तुरंत बहाल कर दिया गया था और 28 अन्य सड़कों को भी आंशिक तौर पर खोल दिया गया है। इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के 26 जे.सी.बी. को

24.08.2015/1545/SLS-DC-2

लगाया गया ताकि अवरुद्ध सड़कों को खोला जाए। इसी तरीके से धर्मपुर में 99 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई थीं जिनमें से 98 योजनाओं को बहाल कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपदा की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे तथा बचाव कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरंभ कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का भी राहत कार्यों में प्रशंसनीय योगदान रहा है जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रशासन द्वारा इस आपदा से निपटने के लिए तुरंत सहायता के रूप में प्रभावित परिवारों को 24,74,000 रुपये, 360 तरपाल, 26 किचन किटें, 64 कम्बल, 16 लेडीज सूट, 31 मर्दाना सूट और 12 गैस कनैक्शन जारी किए गए हैं। आपका यह कहना भी गलत है कि सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। आपने बड़े ज़ोर-शोर से कहा कि सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है ,सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। यह मैं इसलिए बताना चाहता था।

हाल ही में बादल फटने के कारण जो नुकसान हुआ है मैं आपको उसके बारे में भी बता रहा था। लेकिन आप सन् 2000 तक पीछे चले गए; सतलुज की बाढ़ तक पहुंच गए। फिर आप 2013 में, 2014 में और 2015 में पहुंच गए। उसका भी मेरे पास पूरा उत्तर है कि हमने 2013 में क्या दिया, 2014 में क्या दिया और 2015 में जो दिया है, वह मैंने बता दिया है। अभी और भी नुकसान एसैस किया जा रहा है। जिन किसानों की ज़मीनें गई हैं, जिनके घर बह गए हैं अगर वह आलटरनेटिव जगह पर बसना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी उनको भूमि उपलब्ध करवाएगी।

अध्यक्ष महोदय, धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में 57.00 लाख रुपया, वर्ष 2014-15 में 67 लाख रुपया और वर्ष 2015-16 में 85 लाख रुपया दिया गया। वर्ष 2014-15 में ही धर्मपुर क्षेत्र के लिए जिलाधीश मण्डी द्वारा 75.00 लाख रुपये सड़कों और पुलों के रख-रखाव एवं मुरम्मत हेतु जारी किए गए। इसके अतिरिक्त जिला मण्डी को वर्ष 2013-14 में 10.15 करोड़ रुपये,

जारी.. श्री गर्ग द्वारा

24/08/2015/1550/RG/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

इसके अतिरिक्त जिला मण्डी को वर्ष 2013-14 में 10.15 करोड़ रुपये, वर्ष 2014-15 में 12.61करोड़ रुपये एवं वर्ष 2015-16 में अब तक 9.50 करोड़ रुपये विभिन्न राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए जारी किए जा चुके हैं।

यह चर्चा नियम-130 के अन्तर्गत हाल ही की वर्षा पर है, लेकिन माननीय सदस्य बार-बार पुरानी बातें वर्ष 2013 और वर्ष 2014 की बातों में ही घिर गए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं तथा भूमि घर बनाने योग्य नहीं रह गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते वे लोग शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। अब तक जो लेटेस्ट सूचना मिली है उसके मुताबिक अब तक 73 लाख रुपये सिर्फ धर्मपुर क्षेत्र में ही बांटे गए। क्योंकि अभी मैंने इससे कम राशि बताई थी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना दिनांक 11.08.2015 की रात को भारी वर्षा होने के कारण गांव खरीडी मौजा दरीणी, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा में हुए भूस्खलन के कारण 10परिवार प्रभावित हुए जिनके घर भूस्खलन की चपेट में आने से गिरने की कगार पर हैं। यह मामला माननीय सदस्या, श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने उठाया था। दिनांक 11अगस्त की रात की यह घटना है, तो सूचना मिलते ही दिनांक 12.08.2015 सुबह ही उप-मण्डल (नागरिक) ,धर्मशाला द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया तथा पीड़ित परिवारों से विचार-विमर्श के उपरांत प्रति प्रभावित परिवार को मु. 5,000/- रुपये की राहत राशि तथा एक तरपाल प्रति परिवार तुरन्त राहत के रूप में उपलब्ध करवाई गई। यह पुरानी सूचना है। हो सकता है कि एस.डी.एम. साहब ने अब और पैसा दिया होगा ,लेकिन इसके अतिरिक्त इन परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है तथा उन्हें प्रभावित स्थान पर न रहने की हिदायत दी गई है। वर्तमान में वहां पर कोई भी परिवार नहीं रह रहा है तथा किसी जान-माल के नुकसान की न सूचना है।

माननीय विधायिका श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने घरों को हुए नुकसान की चर्चा की तथा आपदा राहत नियमावली में घरों के नुकसान तथा अन्य मदों में बढ़ौत्तरी करने का सुझाव दिया। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने यह बढ़ौत्तरी 01 अप्रैल, 2015 से कर दी है और इसमें मैं माननीय विधायक महोदया को यह भी बताना चाहता हूं कि उपरोक्त परिवारों को हुए नुकसान का आकलन

24/08/2015/1550/RG/AG/2

किया जा रहा है ,नक्शा कुआईफ मौका पर तैयार किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन राहत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राशि प्रदान कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18.08.2015 को मणिकर्ण का जो मामला श्री महेश्वर सिंह जी एवं श्री कर्ण सिंह जी ने सदन में उठाया था, वहां के गुरूद्वारे में चट्टानें गिरने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु जिला संगरूर, पंजाब से आए थे तथा गुरूद्वारा के कमरा नं. 286 में ठहरे हुए थे। इनकी संख्या कुल 18 थी जिसमें से 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही चट्टान गिरने से मौत हो गई थी। उप-मण्डल अधिकारी(ना.) ,कुल्लू ने

व्यक्तिगत रूप से मौके का जायज़ा लिया। मौके पर यह पाया गया कि बहुमंजिला मणिकर्ण गुरूद्वारा की सराय के कुछ भाग पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं जिससे यह भवन अब असुरक्षित हो गया है। स्थिति यह है कि गुरूद्वारे से करीब 500 मीटर ऊपर काफी चट्टानें अभी भी कमजोर स्थिति में फंसी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और फिर से भारी तबाही कर सकती हैं। इस आशंका के मध्यनजर गुरूद्वारा कमैटी को दिनांक 18.08.2015 को नोटिस जारी कर आदेश दिया गया था कि वे असुरक्षित भवन को तुरन्त खाली कर दें। चट्टानों के गिरने की आशंका को देखते हुए राजस्व विभाग की टीम एवं एन.डी.आर.एफ. की एक टुकड़ी को पहाड़ी के ऊपर जायजा लेने भेजा गया जिसने पहाड़ी पर चढ़कर निरीक्षण किया। लौटने पर टीम ने अवगत करवाया कि ठीक गुरूद्वारे के ऊपर अभी भी बहुत से बड़े पत्थर एवं चट्टानें हैं जो कभी भी नीचे गिर सकती हैं और जान-माल को भारी क्षति पहुंच सकती है।----**जारी**

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2015/1555/MS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-------------

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 2015 को प्रशासन की ओर से एस0डी0एम0 कुल्लू के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व भू-वैज्ञानिकों ने मणिकर्ण पहाड़ी की जांच की। भू- वैज्ञानिकों ने कहा कि मणिकर्ण साहिब के पीछे वाली पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिरने का खतरा बरकरार है तथा गुरूद्धारा कमेटी को पहले से ही सतर्क रहने के आदेश जारी किए गए हैं।

गम्भीर रूप से घायल दो व्यक्तियों सर्वश्री गुरवीन्द्र सिंह व हंस राज को पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ भेजा गया है तथा अन्य नौ घायल व्यक्ति जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दाखिल करवाया गया, को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

इन मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में दो मुख्य बस हादसे हुए हैं:

-1जिला कुल्लू के भुंतर के पास सरसाड़ी में दिनांक 23 7.2015.को हुए बस हादसे में बस में कुल 69 यात्रियों में से 23 व्यक्ति घायल हुए थे तथा शेष 46 व्यक्तियों में से अभी तक 22 व्यक्तियों के शव मिले हैं तथा 24 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। घायलों को 5000/-रुपये प्रति व्यक्ति और मृतकों के आश्रितों को 4,00,000/-रुपये ,पहले यह राशि डेढ़ लाख रुपये होती थी। इसको अभी पिछले अप्रैल में बढ़ाकर सरकार ने 4,00,000/रुपये किया है। इन लोगों को यह राशि दे दी गई। दुर्घटना की जांच उपमण्डलाधिकारी कुल्लू को सौंपी गई है।

सरसाड़ी में हुए बस हादसे में लापता हुए लोगों को ढूंढने के लिए नौसेना के गोताखों की भी मदद ली गई है जिसमें अत्याधुनिक यंत्रों द्वारा लापदा व्यक्तियों की खोज करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई सफलता न मिली।

-2दूसरी घटना जिला चम्बा के बैरागढ़ में माननीय सदस्य श्री हंस राज जी के चुनाव क्षेत्र में हुई, जिसका इन्होंने जिक्र किया था। वह 13 अगस्त, 2015 को एक भयंकर बस हादसा हुआ था जिमसें आठ लोगों की मृत्यु हो गई तथा नौ व्यक्ति घायल हो गए हैं।

24/08/2015/1555/MS/AG/2

कई माननीय सदस्यों का यह कथन था कि सरकार द्वारा समय पर राहत राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस संबंध में मैं यह अवगत करवाना चाहता हूं कि आपदा कि किसी भी स्थिति से तुरन्त निपटने हेतु राजस्व विभाग द्वारा मानसून शुरू होने से पहले ही निम्नलिखित राहत राशि राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों हेतु संबंधित विभागों को जारी कर दी गई थी यानी मानूसन शुरू हो से पहले ही यह राशि विभागों को उपलब्ध करवा दी गई थीः-

- लोक निर्माण विभाग 28.50 करोड़ रुपये
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य 05.00 करोड़ रुपये
- कृषि विभाग 02.00 करोड़ रुपये

- उद्यान विभाग 02.00 करोड़ रुपये
- विद्युत विभाग 04.88 करोड़ रुपये
- समस्त जिलाधीश 35.00 करोड़ रुपये

तदुपरान्त हाल ही में इन प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान हेतु 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि सभी जिलाधीशों व अन्य महत्वपूर्ण विभागों जैसे लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, बागवानी इत्यादि को जारी की जा चुकी है। इस प्रकार इस वर्ष पिछले तीन महीनों में ही लगभग 250.00 करोड़ रुपये की राहत राशि सभी जिलाधीशों व अन्य विभागों को जारी की जा चुकी है। यहां मैं यह अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि इतनी राशि इतने कम समय में संभवतः शायद ही पहले कभी स्वीकृत की गई हो।

अध्यक्ष जी, आपदा प्रबंधन सभी विभागों का एक सामूहिक कर्त्तव्य है। राजस्व विभाग द्वारा मानसून शुरू होने से पहले सभी विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण विभागों से बैठक की गई। मौसम विभाग द्वारा मौसम की पूर्व जानकारी समय-समय पर दी जा रही है जिसको विभाग द्वारा सभी जिलाधीशों को बिना समय गवाए तुरन्त चेतावनी दी जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सभी बड़ी व छोटी नदियों के जल स्तर पर पूरी निगरानी रखी जा रही है तथा इसकी चेतावनी भी सभी को तुरन्त जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से भी लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है।

24/08/2015/1555/MS/AG/3

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा खतरा भेदयता विश्लेषण (Hazard Risk Vulnerability Analysis) पर अध्ययन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को प्राकृतिक

आपदा होने पर बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----------

24.08.2015/1600/जेएस/एएस/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-------जारी---------

हिमाचल क्षेत्र में सभी ग्लेशियरों का अध्ययन किया जा रहा है। जिससे उनके बढ़ने या घटने का अनुमान लगाया जा सके और इनसे होने वाले नुकसान से पूर्व ही उस क्षेत्र के लोगों को समय पर चेतावनी जारी की जा सके ताकि जान-माल के नुकसान से बचा जा सके। इस समय हिमालय क्षेत्र में 2554 छोटे-बड़े ग्लेशियर सक्रिय हैं, जिनके कारण प्राकृतिक झीलें बनने का अंदेशा रहता है।

प्रदेश में इस समय 22 भू-स्खलन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन भू-स्खलनों पर सर्वेक्षण निरन्तर किया जा रहा है तथा इनकी रोकथाम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भू-स्खलन के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर चेतावनी जारी की जा रही है।

दिनांक 17.08.2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में आपदा से बचने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैंः-

1. सभी जिलाधीशों द्वारा जो जिला आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की गई है को अक्षरशः लागू करना।
2. सभी जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC) की स्थापना समयबद्ध तरीके से की जाए।
3. हिमाचल प्रदेश में एन0डी0आर0एफ0 की दो बटालियनों की यथाशीघ्र स्थापना करना।

4. परियोजनाओं के लिए स्थान चयन करते समय आपदा की सम्भावना का विशलेषण किया जाए।
5. प्रत्येक विभाग आपदा प्रबन्धन का अपनी योजनाओं में समावेश करें व आपदा प्रबन्ध योजना बना कर सभी सम्बद्ध को उचित प्रशिक्षण दें।

24.08.2015/1600/जेएस/एएस/2

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने उस दिन राजस्व विभाग को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई है।

मानसून शुरू होने से पहले ही इस वर्ष भी दो एन0डी0आर0एफ0 के दल प्रदेश में तैनात कर दिए हैं। जिसमें से एक दल धर्मशाला व दूसरा दल जिला शिमला के सुन्नी में तैनात है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए उक्त दलों को सरकार द्वारा तुरन्त रवाना किया जाता है। हाल ही में सरसाड़ी में हुए बस हादसें में एन0डी0आर0एफ0 के इन दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व विभाग आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई राज्य आपदा प्रबन्धन योजना की सराहना की गई तथा केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार योजनाएं तैयार करने के लिए सुझाव दिया है। जिसके लिए आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। हमारी स्कीम को केन्द्र सरकार ने एप्रिशिएट किया है और उसको सभी राज्यों को लागू करने के लिए भेज दिया है। सभी महत्वपूर्ण विभागों के द्वारा विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जा चुकी है। सभी जल विद्युत परियोजनाओं को भी आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग द्वारा जिला स्तर, तहसील स्तर व स्कूलों में आपदा से बचने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से जागरुक किया जा सके। यह समस्त पग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार आपदा प्रबन्धन हेतु अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि आपदा की रोकथाम व इससे निपटने हेतु पहले ही तैयार रहना चाहिए। मैंने जो कदम अभी बताए हैं, इससे निपटने हेतु पहले ही तैयार रहना चाहिए। मैंने जो कदम अभी बताए हैं,

24.08.2015/1600/जेएस/एएस/3

इससे यह साफ है कि सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम पहले ही लिए हैं तथा आगे भी हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। कुछ सदस्यों द्वारा यह भी आपत्ति उठाई गई कि लोगों को उनकी भूमि नष्ट होने पर उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि जिन लोगों की भूमि जिस पर घर थे यदि नष्ट हो गई है तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर घर बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते लोग पुर्नस्थापित होना चाहते हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा राहत में दी जाने वाली राशि राहत है, पूर्ण आपदा की भरपाई नहीं। आपदा राहत में किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया जाता है, अपितु सहायता राशि प्रदान करने के लिए तीन मुख्य बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाता हैः-

1. राहत नियमावली के नियम।
2. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट
3. एस0डी0आर0एफ/एन0डी0आर0एफ0 में धन की उपलब्धता।

कुछ सदस्यों ने आपदा राशि में बढ़ौत्तरी का सुझाव दिया है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है। जिसमें मृत व्यक्ति के आश्रितों को मु0 डेढ़ लाख से 4.00 लाख रूपए की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राहत नियमावली निम्न मदों पर बढ़ौत्तरी की गई है।

श्री एस.एस.द्वारा जारी------

24-08-2015/1605/SS-AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

जैसे श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने कहा था कि पहले 70 हजार रुपया मकान बनाने के लिए देते थे, जिनका घर बरबाद हो जाए। पहले यह राशि 70 हजार रुपये तक थी जिसका पक्का घर खत्म हो गया हो, अब इस राशि को बढ़ा करके 01.04.2015 से 1,01,900/- रुपया कर दिया गया है। पहले पूर्ण कच्चे घर के लिए 40 हजार रुपये का प्रावधान था लेकिन क्योंकि हमने कहा कि कच्चा घर गरीबों के पास होता है, जिनके पास सीमेंट का घर बनाने के लिए पैसे का प्रबन्ध नहीं होता है, अब हमने उनके लिए 40 हजार से 1,01,900/- रुपया का प्रावधान कर दिया है। जिनकी दुकानें नष्ट होती थीं, उनको पहले कुछ नहीं मिलता था। अब उसमें 25 हजार रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। कृषि और बागवानी में पहले यह प्रावधान था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तभी सिर्फ राहत राशि दी जायेगी। इसको घटाकर अब 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर भी सरकार राहत राशि उपलब्ध करवायेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तराखण्ड प्रदेश की राहत नियमावली का अध्ययन करने बारे है। विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश की राहत नियमावली का अध्ययन किया जाएगा तथा इसमें जो भी महत्वपूर्ण विषय होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा।

मैं यह ज़रूर बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो नॉर्म्ज निर्धारित किये हैं, कई मामलों में हमारे नॉर्म्ज उनसे भी ज़्यादा हैं, वे हमने घटाए नहीं हैं। जो हमारे नॉर्म्ज कम थे उनको बढ़ाया ज़रूर गया है।

माननीय विधायक, डॉ0 राजीव बिन्दल ने चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2013 में जिला सिरमौर को आपदा राहत में केवल 7 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसमें प्रायः सरकारी इमारतों की मुरम्मत के लिए ही प्रदान की गई तथा प्रभावित लोगों को बहुत कम राहत राशि मिली है। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि विभाग द्वारा जिलाधीश तथा अन्य सम्बद्ध विभागों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राहत राशि आबंटित की जाती है। राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में जिला सिरमौर को आपदा राहत के रूप में 11 करोड़ रुपये, न कि 7 करोड़ रुपये तथा अभी विभिन्न मदों में राहत एवं पुनर्वास

24-08-2015/1605/SS-AS/2

हेतु 7 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आपने यह भी कहा कि 2 करोड़ रुपया सरकारी सम्पत्ति को ही ठीक करने में लग गया। अब सरकारी सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ है, उनको भी ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है।

माननीय श्री महेश्वर सिंह जी ने यह सुझाव दिया था कि बादल फटने की घटनाओं को मध्यनज़र रखते हुए बादल फटने के कारणों का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव कि पौध रोपण द्वारा भूमि कटाव रोकना, सड़कों की हालत सुधारना ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, आपका अच्छा सुझाव है। मैं माननीय सदस्य को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सुझाव पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। माननीय सदस्य द्वारा मणिकर्ण की दरकती पहाड़ी की भू-वैज्ञनिकों से जांच करने के सुझाव बारे मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि 21.08.2015 को भू-वैज्ञानिक मौके पर गए थे और उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र डेंजर जोन में आ गया है।

कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान भूमि कटाव की रोकथाम, ल्हासों के कारण सड़कों के अवरूद्ध होने पर चिंता व्यक्त की। चौपाल के माननीय सदस्य ने सड़कों को हुए नुकसान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की तथा यह सुझाव दिया कि सड़कों की मुरम्मत के लिए स्थानीय अधिकारियों के पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।

जारी श्रीमती के0एस0

/1610/24.08.2015केएस/डीसी1/

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने खड्डों के चैनालाईजेशन का सुझाव दिया। माननीय सदस्य (CPS) श्री रोहित ठाकुर व हंस राज ने सेब सीजन के दौरान सड़कों की बदहाली पर चिंता व्यक्त की तथा इनकी हालत सुधारने की ओर ठोस कदम उठाने का तथा आपदा द्वारा फलदार पौधों को हुए नुकसान की राहत देने का आपदा नियमावली में प्रावधान करने का सुझाव दिया। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह द्वारा पेयजल योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने पर चिंता व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन सभी मुद्दों पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें तथा अपने घर नदियों या खड्डों के किनारे न बनाए जिससे कि इन खड्डों या नदियों के प्रवाह में कोई रुकावट आए तथा सम्भावित खतरों से बचा जा सके। इस संदर्भ में सरकार द्वारा भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

संक्षेप में मैं पुनः इस माननीय सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि इस मानसून के दौरान प्रदेश में कुल क्षति का आकलन अब तक 676.57 करोड़ रुपये है जिसमें सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, सिंचाई इत्यादि योजनाओं को

व्यापक नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा राहत कार्यों हेतु अब तक मु0 250 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न मदों में सम्बन्धित विभागों व उपायुक्तों को जारी की गई है। मानसून अभी सक्रिय है तथा दिन-प्रतिदिन क्षति की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। स्थिति पर सरकार द्वारा निरन्तर नजर रखी जा रही है तथा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तथा प्रभावित लोगों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार पहले से ही

/1610/24.08.2015केएस/डीसी2/

सजग है तथा समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत्त है। पूरे प्रदेश में वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है तथा इस नुकसान की भरपाई के लिए मानसून समाप्त होने के उपरांत हुई क्षति का विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा।

मैमोरेंडम बनाया जाएगा और केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा तथा पूरी बरसात में जो नुकसान का आकलन आएगा, उसके बारे में केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगें कि हमको ज्यादा से ज्यादा राशि इसके लिए दी जाए ताकि जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको हम और राहत राशि दे सकें। ज्यादा न कहता हुआ, माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण विषय इस सदन के अंदर उठाया है और जिस पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है, पूरे दिन चर्चा हुई है। नियम 130 के अंतर्गत 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और मैं समझता हूं कि आज तक कभी इसके अंतर्गत इतनी चर्चा नहीं हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल में ऐसी प्राकृतिक आपदा भविष्य में न आए और लोगों का नुकसान न हो। धन्यवाद।

/1610/24.08.2015केएस/डीसी3/

अध्यक्षः इस चर्चा का विस्तृत जवाब मिल गया है। अब नया कोई प्रश्न नहीं होगा अगर कोई इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो बोल सकते हैं लेकिन कोई नई बात नहीं होगी। I will not allow new things; otherwise I will stop it.

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि जिनके मकान चले गए हैं, उनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने पहले ही वर्ष 2013-14 में जिनके मकान चले गए हैं, उनको भूमि उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर कागज ले किए हुए हैं। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में 99 पेयजल परियोजनाओं में से 98 बहाल कर दी गई है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक अवाहदेवी स्कीम चालू नहीं हुई है, सज्याओ स्कीम, गरली स्कीम, अणस्वाई स्कीम, भैडू-चखाल स्कीम, कमलाह स्कीम, ब्रैहल स्कीम, टौरखोला स्कीम और स्योह धार स्कीम चालू नहीं हुई है। ये कोई भी स्कीमें चालू नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बस स्टैंड की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चिड़गांव का जो बस स्टैंड है, 1996-97 में भारी वर्षा की वजह से वहां पर 11 लोगों की जान चली गई थी लेकिन बावजूद इसके वहां पर फिर भी आजकल बस स्टैंड का काम चला हुआ है। इसकी तरफ भी मंत्री जी चिंता करें।

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सड़कों की बात कही, मैंने पहले भी कहा था कि आज भी धर्मपुर चुनाव क्षेत्र के अंदर 37 सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक बहाल होने को बाकी है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2015- 2014-2013में भारत सरकार से जो राशि आपको प्राप्त हुई उसमें से कितनी-कितनी राशि किन-किन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों को बांटी गई है? कृपया इसका भी आप उत्तर देंगें तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगें।

/1610/24.08.2015केएस/डीसी4/

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र सिंह जी ने जो आखिर में प्रश्न पूछा इसके बारे में तो अगर ये अलग से प्रश्न करेंगें तो निश्चित तौर पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

24.8.2015/1615/dc/av/1

अध्यक्ष महोदय, ई.एन.सी. (आई.पी.एच.) की रिपोर्ट की अनुसार पानी की सभी स्कीमें टैम्परैरी तौर पर बहाल कर दी गई है। सड़कों के बारे में कहा गया है कि अभी कुछ सड़कें अवरुद्ध है मगर आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों को रैस्टोर करने के लिए सरकार की ओर से 26 जे.सी.बी. लगाई गई है। आपको इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। आपने जहां तक भूमि उपलब्ध करवाने की बात की है तो वह औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही हो सकती है। अगर किसी का घर गया है और वह दूसरी जगह पर जाना चाहता है तो सरकार की नीति के मुताबिक उनको घर बनाने के लिए निश्चित तौर पर जमीन दी जायेगी।

अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पर वैसे नये प्वाईंट तो आते नहीं हैं।

श्री कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बन्जार में जो आई.पी.एच. और सड़कों की स्कीमें हैं उनके बारे में कोई जवाब नहीं आया है। मर्णिकर्ण के बारे में कुछ आया है और मगर वह मेरा पुराना क्षेत्र रहा है। मैं बन्जार और आनी के बारे में जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन स्पैसिपिक स्कीमों के बारे में पूछा है अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि चर्चा में बहुत सारे सदस्यों ने भाग लिया है और हमारे 68 चुनाव निर्वाचन

क्षेत्र हैं। मगर जैसे कर्ण सिंह जी ने कहा है कि हमारी पानी की स्कीमें प्रभावित हुई हैं उनको टैम्परैरी तौर पर रैस्टोर कर दिया गया है। चाहे बन्जार क्षेत्र की बात है, आनी क्षेत्र की बात है या पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है; सरकार ने प्रोम्प्ट ऐक्शन लेकर के तुरंत सभी स्कीमें बहाल कर दी हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी न रहे।

24.8.2015/1615/dc/av/2

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरकार ने विभागों को पैसा दे दिया है लेकिन जिस तरीके से धर्मशाला के नजदीक टीहरालाइन में लोग दो सालों से लोक निर्माण विभाग की बिल्डिंग में रह रहे हैं अभी जाकर उनके लिए थोड़ी-बहुत लैंड की बात चल रही है। उनको पैसा भी मिला है।

अध्यक्ष : यह दो साल की बात थोड़े ही है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको रिलेट कर रही हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसा किश्तों में दिया है और उनको अभी शायद 60-65 हजार रुपये मिले हैं। वे लोग तो फिर भी ऐक्स सर्विस मैन थे, गोरखा कम्युनिटी के लोग थे और पैसेवाइज भी ठीक थे। मगर खिरड़ी गांव के लोग टैंट के नीचे रह रहे हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि बरसात, गर्मी या ठंड में लोग ऐसे किस तरह से गुजारा कर सकते हैं? मेरा आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि जिनके घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और रहने के काबिल नहीं हैं क्योंकि एस.डी.एम. साहब ने उनको कहा है कि आप इन घरों में नहीं रह सकते। सरकार थोड़ा जल्दी करके अगर उनको लैंड दे सकती है तो वैसे करें या फिर जो आपने उनके मकानों के लिए पैसा बताया; वह उनको तुरंत मिले। यह जो दस-दस हजार रुपये की राशि है इससे न तो उनका घर बनेगा बल्कि उल्टे वह पैसा उनकी रोजी-रोटी पर ही खर्च हो जायेगा। सरकार उसके लिए कोई सोलिड प्वाईंट्स बनायें ताकि उनको पैसा मिल सकें और वे अपना घर बना सकें। वे बिल्कुल टैंटों के नीचे रह रहे हैं। यह ज्यादा चिन्ता का विषय है, आज के जमाने में अपना जीवन इस तरीके से कौन जीता है

और यह सारा हादसा लोक निर्माण विभाग के कारण हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर लोक निर्माण विभाग उस मिट्टी को नीचे न फेंकता क्योंकि ऊपर पहाड़ से लैंड स्लाइड होने पर मिट्टी नीचे फेंकी गई और उस मिट्टी के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें विभाग की भी गलती है और मैं इसीलिए कह रही हूं कि वहां प्रभावित लोगों को तुरंत पैसा मिले। दूसरे मैंने कहा था कि बोड़ूसारना गांव दोनों तरफ से सड़क से कट गया है। उस गांव के लिए न

24.8.2015/1615/dc/av/3

तो रास्ता है और न ही सड़क है। उस गांव की विभाग ने थोड़ी-बहुत सुध ली है मगर जिस तरीके से राहत मिलनी चाहिए थी वह उस गांव के लोगों को नहीं मिली है। आपके पुल और सड़कें बनने में समय लगेगा मगर जहां तक तुरंत राहत की बात है या जहां गांव रास्ते या सड़क से पूरी तरह कटा है क्या सरकार उसको प्राथमिकता के आधार पर ठीक करेगी? क्या उनको तुरंत राशि मिलेगी?

Speaker: Relief and rehabilitation should be provided.

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

24/1620/08.2015.टीसी/ए0एस0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह तो दूबारा डिस्कशन शुरू हो गई है,दरिणी गांव के 10 लोगों का जो नुक्सान हुआ था, उसके बारे में मैंने कहा था कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। आप इसके लिए कम से कम धन्यवाद तो करते, इसके लिए पहले 70हजार दे रहे थे ,अब एक लाख एक हज़ार नौ सौ रूपये दे रहें हैं । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दरिणी के लोगों को शीघ्रातिशीघ्र वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा । लेकिन जगह उनको चयनित करनी है, पटवारी से लिखा करके, वे एस0डी0एम0 से मिल करके जगह चयनित करें, निश्चित तौर पर उनको मकान बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी । जहां तक आप कह रहे थे कि हमारी स्कीमें रि-स्टोर नहीं हुई हैं ,आज तक सारी

स्कीमें रि-स्टोर हो चुकी है ,सिर्फ एक स्कीम जो संधोल में है, वह भी 26-08-2015 तक यानि दो दिन के बाद पॉर्शली रि-स्टोर कर दी जाएगी। ताकि लोगों को कोई समस्या न हों। अभी श्री कर्ण सिंह जी ने कहा की आनी और बंजार क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। मैं उनको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आनी और बंजार क्षेत्रों के लिए 59 लाख रूपये राहत राशि के रूप में दे दिए हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र सुझाव दूँगा, सदन में जो चर्चा हुई माननीय मंत्री महोदय ने उसका विस्तृत जवाब दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सदन में जो चर्चा हुई उसमें जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मूल रूप से आपका जवाब उन तक ही सीमित रह गया। लेकिन बाकी जो सदस्य छूट गए, जिन सदस्य ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया ,उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट भी ले लें। वहां जो नुक्सान हुआ है, उसकी भरपाई भी जिस ढंग से आपने अन्य क्षेत्रों में की, वहां भी की जाये, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे रिपोर्टें आ रही हैं, तहसीलदार एस0डी0एम0 को रिपोर्ट देता है, एस0डी0एम0 डी0सी0 को रिपोर्ट देता है और डी0सी0 एडिशनल चीफ सक्रेटरी (रेवन्यु)को रिपोर्ट देता है। इस

24/1620/08.2015.टीसी/ए0एस0/2

प्रकार से डेली रिपोर्टें कम्पाइल हो रही है और यह वही मामला नहीं है, जो माननीय सदस्यों ने मामला उठाया है ,संधोल का मामला नहीं उठाया गया है, संधोल में भी सड़कों का बड़ा नुक्सान हुआ है। उसमें भी हमने पैसा दिया है, वैसे ही दूसरे क्षेत्रों को भी दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है। जैसे पानी की स्कीमें हैं, वह टम्परेरी रि-स्टोर कर दी गई है और लोगों को पानी उपलब्ध करवा दिया गया है। लेकिन उसको परमानेंटली रि-स्टोर करने में अभी कुछ समय लगेगा।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 25अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

शिमला-171004.
दिनांकः 24 अगस्त, 2015.